

अध्याय—1

प्रस्तावना

अध्याय-1

प्रस्तावना

सूचना का अधिकार अधिनियम -2005 के तहत कृषि यंत्री, कृषि अभियांत्रिकी संभाग जबलपुर में इसके सफल क्रियान्वयन हेतु इस पुस्तिका को तैयार किया गया है , जिससे जनता के प्रति जवाबदेही , उत्तरदायित्व तथा क्रियाकलाप में पारदर्शिता लायी जा सके । इसमें संदेह नहीं कि यथार्थ पालन लोकतांत्रिक शासन/प्रशासन की मूल भावना को पुष्ट करेगा तथा राज्य/राष्ट्र के नूतन विकास में अग्रसर करने में सहायक होगा ।

इस पुस्तिका से जनता को विभाग की किसी भी प्रकार की सूचना (अधिनियम की धारा-8 के उपबन्धों के अलावा) लेने में सहायता मिलेगी । इसमें विभाग का संरचनात्मक ढांचा, विभाग के कार्य तथा दायित्व, अधिकारी एवं कर्मचारी को प्रदत्त शक्तियों एवं उनके कर्तव्य, कृत्यों के निर्वहन हेतु नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख का उल्लेख, नीति निर्धारण व कार्यान्वयन के सम्बन्ध में जनता या जन-प्रतिनिधि से परामर्श के लिये बनाई गयी व्यवस्था का विवरण लोक प्राधिकारी के पास या उनके नियंत्रण में उपलब्ध दस्तावेजों का वर्गीकरण, लोक सूचना अधिकारी के नाम, निर्णय लेने की प्रक्रिया, निर्देशिका, अधिकारी/कर्मचारी द्वारा प्राप्त वेतन आदि योजनाओं में बजट एवं व्यय की जानकारी, कृत्यों के निर्वहन के लिये स्थापित भावक/नियम, इलेक्ट्रॉनिक रूप में उपलब्ध सूचनायें, नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं का विवरण तथा अन्य जानकारियों का यथा-समय समावेश किया गया है ।

इस पुस्तिका को विभाग की वेबसाइट <http://www.mp.nic/agriculture.agengg.htm> पर भी डाला जा रहा है, जिससे जनता को इसकी जानकारी आसानी से उपलब्ध हो सके । इसकी प्रतियां इस कार्यालय में नियुक्त संचालनालय द्वारा नियुक्त लोक सूचना अधिकारी और सहायक लोक सूचना अधिकारी के पास भी उपलब्ध रहेंगी । सूचना के अधिकार 2005 से सम्बन्धित जानकारी इस कार्यालय के अधीनस्थ उप संभागीय कार्यालयों में कार्यरत सहायक कृषि यंत्री के कार्यालयों से भी प्राप्त हो सकेगी ।

इस कार्यालय के अधीन कार्यालय प्रत्येक जिले/विकास खण्ड में न होने के कारण जिस जिले में अधिकारी पदस्थ हैं, उनके कार्यक्षेत्र के जिलों का विवरण पुस्तिका में दिया गया है ।

विभिन्न योजनाओं में लाभान्वित हितग्राहियों की जिलावार/विकासखण्डवार जानकारी इस कार्यालय एवं सहायक कृषि यंत्रियों के कार्यक्षेत्र के जिलों की जानकारी उनके कार्यालय में नामित लोक सूचना अधिकारी/सहायक लोक सूचना अधिकारी से प्राप्त की जा सकती है ।

हमें विश्वास है कि यह पुस्तक आम जनता के लिये सूचना के अधिकार अधिनियम-2005 के तहत विभाग से सम्बन्धित सभी प्रकार की सूचना प्राप्त करने के लिये मागदर्शी रहेगी ।

शुभकामनाओं के साथ ।

(वाय.एस.नागोत्रा)
कृषि यंत्री,
कृषि अभियांत्रिकी संभाग, जबलपुर

1.1 कृपया हस्तपुस्तिका की पृष्ठभूमि पर प्रकाश डालें (सूचना का अधिकार अधिनियम 2005)

इस पुस्तिका में सूचना का अधिकार अधिनियम, 05 में निहित प्रावधानों के तहत इस कार्यालय से संबंधित समस्त जानकारियों का संकलन किया गया है । जिससे आम जनता को जानकारी प्राप्त करने में कोई असुविधा न हो ।

1.2 हस्तपुस्तिका का उद्देश्य

इस पुस्तिका का मूल उद्देश्य आम जनता को इस कार्यालय से संबंधित समस्त जानकारी सुगमता से उपलब्ध कराना है ।

1.3 यह हस्तपुस्तिका किन व्यक्तियों/संस्थानों/संगठनों आदि के लिये उपयोगी है ?

यह पुस्तिका जन सामान्य एवं कृषकों के लिये बहुउपयोगी है ।

1.4 हस्तपुस्तिका का प्रारूप ।

इस हस्तपुस्तिका में निर्धारित प्रारूप में कृषि यंत्री कार्यालय से संबंधित जानकारी दी गयी है ।

1.5 परिभाषायें (कृपया हस्तपुस्तिका में प्रयोग करी गयी शब्दावली को परिभाषित करें) ।

इस हस्तपुस्तिका में सरल हिन्दी भाषा में जानकारी दी गयी है, इसमें किसी विशेष प्रकार की शब्दावली का प्रयोग नहीं किया गया है ।

1.6 हस्तपुस्तिका में समायोजित विषयों के संबंध में विस्तृत जानकारी तथा अन्य जानकारियों के लिये सम्पर्क व्यक्ति

हस्तपुस्तिका में समायोजित विषयों के संबंध में विस्तृत जानकारी तथा अन्य जानकारियों के सम्पर्क हेतु संभागीय स्तर पर श्री वाय.एस.नागोत्रा, कृषि यंत्री जबलपुर से तथा उपसंभाग स्तर पर सहायक कृषि यंत्रियों से सम्पर्क किया जा सकता है ।

1.7 हस्तपुस्तिका में उपलब्ध जानकारी के अतिरिक्त सूचना प्राप्त करने के लिये विधि एवं शुल्क ।

हस्तपुस्तिका में उपलब्ध जानकारी के अतिरिक्त सूचना प्राप्त करने के लिये कृषि यंत्री जबलपुर के नाम आवेदन निर्धारित शुल्क रुपये 10/- के साथ करने पर प्राप्त की जा सकती है । कार्यालय से संबंधित अन्य जानकारियां उपसंभाग स्तर पर कार्यरत सहायक कृषि यंत्रियों से भी उपरोक्तानुसार निर्धारित शुल्क के साथ आवेदन करने पर प्राप्त की जा सकती है ।

अध्याय-2 (मैनुअल-1)

संगठन की विशिष्टियां, कृत्य एवं
कर्तव्य

अध्याय-2 (मैनुअल-1)

संगठन की विशिष्टियां , कृत्य एवं कर्तव्य

2.1 लोक प्राधिकरण के उद्देश्य

इस कार्यालय का मुख्य उद्देश्य कृषि कार्य में उपयोग होने वाली मंहगी मशीनें जिन्हें कृषक क्रय नहीं कर सकते उन्हें शासन द्वारा निर्धारित की गई दरों पर किराये पर देना, नवीन विकसित कृषि यंत्रों, मशीनरी के उपयोग की जानकारी देना, विभागीय कर्मशाला में नये एवं आधुनिक कृषि यंत्र निर्मित कर कृषकों को वितरित करना, कम समय में अधिक कार्य करने वाली अत्याधुनिक मशीनों का प्रचार-प्रसार एवं कृषकों के खेतों में जीवंत प्रदर्शन कर उन्हें लोकप्रिय बनाना जिससे कृषि कार्य के श्रम एवं समय और लागत में कमी करके प्रदेश में कृषि उपज एवं उत्पादकता में वृद्धि की जाकर कृषकों में नवीन कृषि यंत्रों एवं मशीनरी के प्रति जागरुकता लाई है ।

2.2 लोक प्राधिकरण का मिशन/विजन

कृषि की उन्नत तकनीकी एवं आधुनिक कृषि यंत्रों के उपयोग एवं प्रचार प्रसार के माध्यम से उत्पादन में वृद्धि करना ।

2.3 लोक प्राधिकरण का संक्षिप्त इतिहास और इसके गठन का प्रसंग

कृषि उत्पादन में वृद्धि करने एवं प्रदेश की पड़त एवं उबड़-खाबड़ जमीन को खेती योग्य बनाने हेतु कृषि अभियांत्रिकी संचालनालय का गठन वर्ष 1989 में किया गया है, जिसके अधीन संभाग स्तर पर कृषि यंत्री कार्यालय स्थापित है। इस कार्यालय के अधीन उपसंभाग स्तर पर दो सहायक कृषि यंत्री मुख्यालय में पदस्थ है, जिनमें सहायक कृषि यंत्री (हलयंत्र) जबलपुर एवं सहायक कृषि यंत्री (कर्मशाला) जबलपुर है तथा जबलपुर मुख्यालय से बाहर सिवनी उपसंभाग में सहायक कृषि यंत्री सिवनी पदस्थ हैं। सहायक कृषि यंत्री (हलयंत्र) जबलपुर के अधीन मुख्यालय जबलपुर में दो ईकाई – यांत्रिक सहायक, यूनिट नं0-1 एवं यांत्रिक सहायक यूनिट नं0-4 तथा नरसिंहपुर जिले में एक ईकाई यांत्रिक सहायक नरसिंहपुर स्थापित है। सहायक कृषि यंत्री (हलयंत्र) जबलपुर को नरसिंहपुर एवं डिण्डोरी जिले आवंटित है। सहायक कृषि यंत्री (कर्मशाला) जबलपुर के अधीन जबलपुर मुख्यालय में एक यांत्रिक सहायक बोरिंग-ड्रिलिंग जबलपुर ईकाई में तथा एक यांत्रिक सहायक विभागीय कर्मशाला में पदस्थ है, जिसमें कृषि यंत्रों का निर्माण किया जाता है। सहायक कृषि यंत्री (कर्मशाला) जबलपुर को जबलपुर एवं कटनी जिले आवंटित है। सिवनी उपसंभाग में सहायक कृषि यंत्री पदस्थ है, जिनके अधीन तीन ईकाई क्रमशः यांत्रिक सहायक सिवनी, मण्डला एवं छिन्दवाड़ा जिलों में स्थापित है। सहायक कृषि यंत्री को सिवनी, छिन्दवाड़ा, मण्डला एवं बालाघाट जिले आवंटित हैं। जबलपुर संभाग की पड़त एवं उबड़-खाबड़ जमीन को खेती योग्य उपजाऊ बनाने के लिये चैन टाईप ट्रेक्टर्स जिनमें बुलडोजर्स एवं गहरी जुताई ट्रेक्टर एवं व्हील टाईप ट्रेक्टर्स एयर कम्प्रेसर मशीन रोटावेटर, पावर टिलर एवं ट्रेक्टर्स, प्लाऊ, कल्टीवेटर्स, रोटावेटर्स, सीड ड्रिल, थ्रेसर एवं ग्रेडर आदि उपलब्ध हैं।

इन्हे संभाग के 5 जिलों की ट्रैक्टर यूनिटों में विभाजित किया गया है । उन्नत कृषि यंत्रों के अभिकल्पन, सुधार एवं निर्माण हेतु जबलपुर मुख्यालय में विभागीय कर्मशाला स्थापित है ।

2.4 लोक प्राधिकरण के कर्तव्य

पड़त एवं उबड़-खाबड़ भूमि को कृषि योग्य बनाने एवं गहरी जुताई से खरपतवार व कांस नियंत्रण करने हेतु चैन टाईप ट्रैक्टर एवं बुलडोजर तथा यंत्र उपकरण किसानों को शासन द्वारा निर्धारित किराये पर उपलब्ध कराना । लघुत्तम सिंचाई योजना के परकोलेशन/वाटर हार्वेस्टिंग टैंक निर्माण कराना । कृषि उत्पादन में वृद्धि हेतु कर्मशालाओं में बैल चलित उन्नत कृषि यंत्रों का क्षेत्रीय आवश्यकतानुसार उनका अभिकल्पन, सुधार एवं निर्माण कराना तथा उनके प्रचार-प्रसार हेतु कृषकों के खेतों में परीक्षण एवं प्रदर्शन करना ।

2.5 लोक प्राधिकरण के मुख्य कृत्य

कृषि उत्पादन में वृद्धि लाने हेतु शासन द्वारा निर्धारित योजनाओं का क्रियान्वयन एवं कृषि यंत्रीकरण को बढ़ावा देना ।

2.6 लोक प्राधिकरण द्वारा प्रदत्त सेवाओं की सूची एवं उनका संक्षिप्त विवरण


- विभिन्न कृषि कार्यों हेतु विभागीय मशीनों को कृषकों को निर्धारित किराये पर उपलब्ध कराना जिनकी किराया दरें वर्तमान में निम्नानुसार है :-

डोजर द्वारा भूमि समतलीकरण/भूमि सुधार/ टैंक निर्माण	-	रूपये 700 प्रति घंटा
चैन टाइप ट्रैक्टरों से गहरी जुताई	-	रूपये 800/- प्रति एकड़
व्हील टाइप ट्रैक्टरों से किया जाने वाला कार्य	-	रूपये 160/- प्रति घंटा रूपये 220/- प्रति घंटा
<ul style="list-style-type: none"> • 40 हार्स पावर तक के ट्रैक्टर से • 40 हार्स पावर से अधिक के ट्रैक्टर से 		
यील्ड टेस्टिंग/डिवाटरिंग/डेवलपमेंट कार्य	-	रूपये 182/- प्रति घंटा
रोटावेटर (ट्रैक्टर सहित)	-	रूपये 220/- प्रति घंटा
सेल्फ प्रोपेल्ड रीपर (राइड ऑन टाइप)	-	रूपये 100/- प्रति घंटा
ट्रैक्टर माउन्टेड रीपर	-	रूपये 220/- प्रति घंटा
पावर टिलर	-	रूपये 35/- प्रति घंटा
सेल्फ प्रोपेल्ड रीपर (वाकिंग टाइप)	-	रूपये 35/- प्रति घंटा
पैडी ट्रान्सप्लान्टर	-	रूपये 100/- प्रति घंटा

- कृषकों में नवीन उन्नत कृषि यंत्रों के प्रति जागरूकता लाने हेतु उपयोगी नवीनतम उन्नत कृषि यंत्रों का प्रचार-प्रसार करवाना एवं कृषकों के खेतों में प्रदर्शन कराना ।
- ग्रामीण कारीगरों एवं मिस्त्रियों को उन्नत कृषि यंत्रों के निर्माण एवं रख-रखाव तथा उपयोग पर प्रशिक्षण दिया जाना ।
- केन्द्र पोषित मैक्रो मैनेजमेन्ट योजना के अन्तर्गत “कृषि यंत्रीकरण को प्रोत्साहन” के कार्यक्रम के अन्तर्गत कृषकों को अनुदान पर हस्तचलित/बैलचलित, शक्तिचलित उन्नत कृषि यंत्र, पावर टिलर एवं छोटे ट्रैक्टर के वितरण का कार्यक्रम जिलों में पदस्थ उप संचालक कृषि के माध्यम से क्रियान्वित कराना ।
- विवरण निम्नानुसार है :-

क्र.	घटक	कृषकों को शासन द्वारा दिया जा रहा अनुदान
1	उन्नत कृषि यंत्र हस्त/बैलचलित	कीमत का 25% अधिकतम रूपये 1500/- में से जो भी कम हो ।
2	पावर टिलर	कीमत का 25% अधिकतम रूपये 30,000/- में से जो भी कम हो ।
3	ट्रैक्टर (35पी.टी.ओ. हार्सपावर तक के ट्रैक्टर)	कीमत का 25% अधिकतम रूपये 30,000/- में से जो भी कम हो ।
4	शक्ति चलित कृषि यंत्र	
	(अ) ट्रैक्टर चलित उपकरण जैसे- एम. बी. प्लाऊ, आपसेट डिस्क हैरो ब्लेड टेरेसर/लेवलर सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल, बण्ड फार्मर	कीमत का 25% अधिकतम रूपये 10,000/- में से जो भी कम हो ।
	(ब) मल्टीक्राप थ्रेशर	कीमत का 25% अधिकतम रूपये 8,500/- में से जो भी कम हो ।
	(स) विशिष्ट शक्ति चलित नवीनकृषि उपकरण जैसे- टिलेज सीड ड्रिल,सीड ग्रेडर मोटर सहित, रोटोवेटर, जीरो टिलेज सीड ड्रिल, शुगरकेन कटर प्लांटर, पोटेटो डिगर/पोटेटो प्लांटर, ट्रैक्टर चलित फ्रन्ट माउण्टेड रीपर, स्ट्रा-रीपर, मिनी राईस मिल, मेज शेलर	कीमत का 25% अधिकतम रूपये 30,000/- में से जो भी कम हो ।

2.7 लोक प्राधिकरण के विभिन्न स्तरों (शासन, निदेशालय, क्षेत्र, जिला, ब्लाक आदि) पर संगठनात्मक ढांचा (जहां लागू हो)



2.8 लोक प्राधिकरण की कार्यक्षमता बढ़ाने हेतु जन सहयोग की अपेक्षाएं

शासन के नियम/नीति से संबंधित यदि कोई जनसामान्य/जनप्रतिनिधि द्वारा सुझाव/अभ्यावेदन प्रस्तुत किया जाता है तो कृषि यंत्री के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया जा सकता है ।

2.9 जन सहयोग सुनिश्चित करने के लिये विधि/व्यवस्था

नियमानुसार कार्य हेतु "प्रथम आगमन, प्रथम सेवा" के मूल उद्देश्य के अनुसार इस कार्यालय से कार्य की अपेक्षा के अन्तर्गत जन-सहयोग वांछित है ।

2.10 जन सेवाओं के अनुश्रवण एवं शिकायतों के निराकरण की व्यवस्था

संचालक कृषि अभियांत्रिकी भोपाल द्वारा श्री वाय.एस.नागोत्रा, कृषि यंत्री जबलपुर को जनसमस्या निवारण हेतु इस कार्यालय के अन्तर्गत जनशिकायत निवारण अधिकारी नियुक्त किया गया है ।

2.11 मुख्य कार्यालय तथा विभिन्न स्तरों पर कार्यालयों के पते (कृपया पदों का जनपदवार वर्गीकरण करें)

मुख्य कार्यालय तथा विभिन्न स्तरों पर कार्यालयों के पते निम्नानुसार है।

क्रमांक	पदनाम	कार्यालय का नाम/पता
1.	कृषि यंत्री ,जबलपुर	कृषि यंत्री, कृषि अभियांत्रिकी संभाग संजय नगर पावर हाउस के सामने अधारताल जबलपुर
2.	सहायक कृषि यंत्री(कर्मशाला) जबलपुर	सहायक कृषि यंत्री (कर्मशाला) संजय नगर पावर हाउस के सामने, अधारताल , जबलपुर
3.	सहायक कृषि यंत्री (हलयंत्र) जबलपुर	सहायक कृषि यंत्री (हलयंत्र) संजय नगर पावर हाउस के सामने, अधारताल , जबलपुर
4.	सहायक कृषि यंत्री सिवनी	सहायक कृषि यंत्री नागपुर रोड़, साँई मन्दिर के सामने, सिवनी

2.12 कार्यालय के खुलने एवं बन्द होने का समय

1. कार्यालय – प्रातः 10.30 से 5.30 बजे
2. ईकाई – प्रातः 08.00 ये 5.00 बजे

अध्याय—3 (मैनुअल—2)
अधिकारियों और कर्मचारियों की
शक्तियां एवं कर्तव्य

अध्याय-3 (मैनुअल-2)

3.1 अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियां एवं कर्तव्य

पदनाम	शक्तियां			कर्तव्य
	प्रशासकीय	वित्तीय	अन्य	
कृषि यंत्री	<ul style="list-style-type: none"> अराजपत्रित वर्ग-चार के कर्मचारियों की नियुक्ति करना सभी प्रकार के अवकाश का निराकरण अधीनस्थ कर्मचारियों पर नियंत्रण 	रु. 20,000 /	-	<ul style="list-style-type: none"> उपसंभाग में पदस्थ सहायक कृषि यंत्रियों के समस्त कार्यों पर नियंत्रण । सहायक कृषि यंत्री पर वित्तीय एवं प्रशासनिक नियंत्रण । संभाग की मशीनों के लिये निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति करवाना । कृषि कर्मशालाओं में उन्नत कृषि यंत्रों के निर्माण एवं नवीन कृषि यंत्रों के प्रचार-प्रसार एवं प्रदर्शन का कार्य । संभाग के आंचलिक प्रबंधक, जिलों के उप संचालक कृषि एवं कृषि उद्योग विकास निगम से समन्वय स्थापित कर कृषि यंत्रीकरण से संबंधित सभी कार्यक्रमों में गति देना ।
सहायक कृषि यंत्री	सभी प्रकार के अवकाशों का निराकरण	रु. 5000		<ul style="list-style-type: none"> प्रत्येक अधीनस्थ ट्रैक्टर यूनिटों पर नियंत्रण और आहरण-वितरण । अधीनस्थ ट्रैक्टर यूनिटों में उपलब्ध मशीनों व कृषि उपकरणों से कृषकों का कार्य कर लक्ष्यों की पूर्ति करना । ट्रैक्टर यूनिटों में कृषकों के कृषि कार्य हेतु उपलब्ध बुलडोजर, गहरी जुताई ट्रैक्टर, व्हील ट्रैक्टर, एयर कम्प्रेसर, रोटावेटर, पावर टिलर, पैडी ट्रान्सप्लान्टर, रीपर, थ्रेशर एवं अन्य मशीनों का रख-रखाव एवं परिचालन नवीन तकनीक के उन्नत कृषि उपकरणों के प्रदर्शन कर इनका प्रचार-प्रसार कृषि यंत्रीकरण के कार्यक्रमों की मानीटरिंग एवं आवश्यकता अनुसार कृषकों को तकनीकी सलाह देना हितग्राहियों को प्रदाय किये जा रहे सिंप्रंकलर,ड्रिप सिस्टम का क्रम-रहित निरीक्षण कर गुणवत्ता नियंत्रण करना ।
यांत्रिक सहायक				<ul style="list-style-type: none"> ट्रैक्टर यूनिट में उपलब्ध मशीनों एवं पी.ओ. एल. का रख-रखाव, मरम्मत, परिचालन एवं उस पर नियंत्रण ।

पदनाम	शक्तियां			कर्तव्य
	प्रशासकीय	वित्तीय	अन्य	
				<ul style="list-style-type: none"> • ट्रैक्टर यूनिट में उपलब्ध गहरी जुताई ट्रैक्टर, बुलडोजर, व्हील ट्रैक्टर, एयर कम्प्रेसर, रोटोवेटर, पावर टिलर, पैडी ट्रान्सप्लान्टर, रीपर, थ्रेशर आदि कृषकों को कस्टम हायरिंग पर उपलब्ध कराना एवं नवीन यंत्रों का प्रदर्शन करना • मशीनों के संचालन के लिये पी.ओ.एल. की व्यवस्था, लागबुक, हिस्ट्रीशीट आदि इत्यादि अभिलेखों का संधारण करना • कृषि कर्मशाला में यंत्रों का निर्माण, वितरण एवं उपलब्ध मशीनों का रख-रखाव
यांत्रिक				<ul style="list-style-type: none"> • ट्रैक्टर यूनिट में उपलब्ध मशीनों का पूर्ण रूप से रख-रखाव तथा मरम्मत करना । • मशीनों के मरम्मत में लगने वाले स्पेयर पार्ट्स की मांग यांत्रिक सहायक को प्रस्तुत करना । • यूनिट के हलयंत्र चालक, एयर कम्प्रेसर आपरेटर, हेल्पर पर नियन्त्रण रखना । • यांत्रिक सहायक के प्रति यांत्रिक उत्तरदायी रहेंगे तथा उनके निर्देशों का पालन करना ।
ट्रेक्टर आपरेटर/ एयर कम्प्रेसर आपरे.				<ul style="list-style-type: none"> • मशीन का संचालन, रख-रखाव, सुरक्षा तथा लॉगबुक भरना । • मशीन के लिए निर्धारित लक्ष्य की पूर्ति करना । • मशीन की मरम्मत में यांत्रिक की सहायता करना । • कार्यादेश अनुसार कार्य पूर्ण कर कृषक से पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त करना । • यांत्रिक सहायक तथा यांत्रिक के प्रति उत्तरदायी होंगे तथा समय-समय पर उनके द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन करना ।
विद्युतकार				<ul style="list-style-type: none"> • कृषि कर्मशाला एवं ट्रैक्टर यूनिटों में उपलब्ध मशीनों/वाहनों के विद्युत सिस्टम जैसे-बैट्री, सेल्फ, डायनुमा, आल्टर नेटर लाईट इत्यादि को चेक कर आवश्यकता अनुसार सुधार एवं मरम्मत ।
वैल्डर				<ul style="list-style-type: none"> • बुलडोजर ट्रेक्टर वाहनों आदि में टूट-फूट होने पर आवश्यकतानुसार वैल्डिंग कार्य करना । • कृषि कर्मशाला में कृषि उपकरणों को निर्माण करने हेतु आवश्यकतानुसार वैल्डिंग कार्य करना ।

पदनाम	शक्तियां			कर्तव्य
	प्रशासकीय	वित्तीय	अन्य	
				<ul style="list-style-type: none"> • जॉब चार्ट के आधार पर दैनंदिन कार्य का लेखा-जोखा रखना । • यांत्रिक सहायक के प्रति उत्तरदायी होंगे एवं समय-समय पर उनके द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन करना ।
वाहन चालक				<ul style="list-style-type: none"> • जीप/ट्रकों का रख-रखाव, संचालन, सुरक्षा तथा लाग बुक पूर्ण करना । • वाहन के मरम्मत के समय यांत्रिक की सहायता करना ।
लोहार				<ul style="list-style-type: none"> • ट्रेक्टर यूनिट एवं कर्मशाला की मशीनों वाहनों/कृषि यंत्रों इत्यादि में होने वाले लोहारी कार्य को सम्पन्न करना । • कृषि उपकरणों का निर्माण कार्य । • जॉब चार्ट के आधार पर दैनंदिन कार्य का लेखा-जोखा रखना
टर्नर				<ul style="list-style-type: none"> • कृषि कर्मशाला एवं ट्रेक्टर यूनिटों में उपलब्ध मशीनों, उपकरणों एवं वाहनों के कलपुर्जे की मरम्मत का कार्य । • कृषि कर्मशाला में उपलब्ध लेथ, ड्रिलिंग, मिलिंग, शेपर आदि मशीनों का परिचालन एवं प्रतिदिन मेन्टेनेन्स करना । • जॉब चार्ट के आधार पर दैनंदिन कार्य का लेखा-जोखा रखना । • यांत्रिक सहायक के प्रति उत्तरदायी होंगे तथा समय-समय पर उनके द्वारा दिये गये निर्देशों का पालना करना ।
स्वच्छक/हेल्पर/हेमरमेन				<ul style="list-style-type: none"> • ट्रेक्टर यूनिटों एवं कृषि कर्मशालाओं की मशीनों की मरम्मत एवं परिचालन में आपरेटर की मदद एवं मशीन की साफ-सफाई । • कृषि कर्मशालाओं में यंत्रों के निर्माण में मदद करना ।
सहायक ग्रेड-1				<ul style="list-style-type: none"> • वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन के लिए पत्राचार । • विधानसभा प्रश्न । • व्यक्तिगत नस्तियों का रख-रखाव । • शिकायतें एवं विभागीय जाँच । • समस्त फाईलों जैसे-स्थापना, लेखा, भण्डार बजट आदि का प्रारूप अनुमोदन करना । • पदोन्नति समितियों का आयोजन ।
आडिटर/लेखापाल				<ul style="list-style-type: none"> • वेतन देयक, अन्य देयक का आहरण एवं भुगतान कर केश बुक का संधारण करना ।

पदनाम	शक्तियां			कर्तव्य
	प्रशासकीय	वित्तीय	अन्य	
				<ul style="list-style-type: none"> ● यात्रा देयक एवं दौरा कार्यक्रम का अनुमोदन ● जी.पी.एफ./डी.पी.एफ. का रिकार्ड रखना । ● लेखा आपत्ति एवं निराकरण । ● खर्च पत्रक । ● स्टॉक एण्ड स्टोर अकाउन्ट । ● अग्रिम की स्वीकृति, यात्रा, मेडिकल, जीपीएफ गृह निर्माण ।
सहायक ग्रेड-2				<ul style="list-style-type: none"> ● शासकीय निर्देश एवं परिपत्र । ● अवकाश स्वीकृति । ● निरन्तरता स्वीकृति । ● शिकायतें एवं जाँच प्रकरण । ● भण्डार, पुर्जे क्रय एवं मरम्मत कार्यक्रम । ● न्यायालयीन प्रकरण नस्तियों एवं याचिकायें । ● अपलेखन । ● स्टेशनरी क्रय । ● पुराना रिकार्ड व्यवस्थित रखना । ● स्थापना संबंधी कार्य ।
सहायक ग्रेड-3				<ul style="list-style-type: none"> ● टाईपिंग ● कम्प्यूटर डाटा एन्ट्री ● स्थापना संबंधी नस्तियों का संधारण ● वरिष्ठता सूची अभ्यावेदन ● व्यक्तिगत नस्तियों का संधारण ● परिपत्र एवं निर्देश संधारण ● गुमशुदा राशि जी.पी.एफ. ● भविष्य निधि पुस्तिका ● मासिक खर्च पत्रक ● डॉक टिकिट

अध्याय—4 (मैनुअल—3)

कृत्यों के निर्वहन हेतु नियम,
विनियम, अनुदेश, निर्देशिका और
अभिलेख

अध्याय-4 (मैनुअल-3)

कृत्यों के निर्वहन हेतु नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख

4.1 लोक प्राधिकरण अथवा उसके अधिकारियों एवं कर्मियों द्वारा अपने कृत्यों के निर्वहन के लिये धारित तथा प्रयोग किये जाने वाले नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख की सूची का विवरण :-

अभिलेख का नाम	अभिलेख का प्रकार	निर्देशिका
विभागीय – मैनुअल (कृषि विभाग की मैनुअल में सम्मिलित)		

अभिलेख का संक्षिप्त परिचय –

विभाग द्वारा संचालित की जाने वाली समस्त गतिविधियों/योजनाओं, अधिकारियों के उत्तरदायित्व, प्रदत्त अधिकार का विस्तृत विवरण विभागीय मैनुअल में दिया गया है ।

नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख की प्रति कहां से प्राप्त कर सकते हैं ?

पता – कृषि यंत्री, कृषि अभियांत्रिकी संभाग
संजय नगर पावर हाउस के सामने
अधारताल, जबलपुर (म.प्र.)
दूरभाष – 0761-2480928 (कार्या.) 2480407 (निवास)
फैक्स – 2659822
ई.मेल – aejbp@rediffmail.com
अन्य –

नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख की प्रति को प्राप्त करने का शुल्क (यदि कोई हो)

शासन के नियमानुसार ।

4.1.1

<u>अभिलेख का नाम</u>	<u>अभिलेख का प्रकार</u>	<u>अन्य</u>
मध्यप्रदेश ट्रेक्टर द्वारा खेती (प्रभारों की वसूली अधिनियम 1972)		

अभिलेख का संक्षिप्त परिचय

कृषकों के खेतों में कांस उन्मूलन योजना के अन्तर्गत तकाबी पर गहरी जुताई का कार्य संपन्न कराने के सम्बन्ध में शासन द्वारा जारी दिशा निर्देश ।

नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख की प्रति कहां से प्राप्त कर सकते हैं ?

पता – कृषि यंत्री, कृषि अभियांत्रिकी संभाग
संजय नगर पावर हाउस के सामने
अधारताल, जबलपुर (म.प्र.)
दूरभाष – 0761-2480928 (कार्या.) 2480407 (निवास)
फैक्स – 2659822
ई.मेल – aejbp@rediffmail.com
अन्य –

नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख की प्रति को प्राप्त करने का शुल्क (यदि कोई हो)

शासन के नियमानुसार ।

अध्याय-5 (मैनुअल-4)

नीति निर्धारण व कार्यान्वयन के सम्बन्ध में जनता या जन-प्रतिनिधी से परामर्श के लिये बनायी गयी व्यवस्था का विवरण

नीति निर्धारण व कार्यान्वयन के संबंध में जनता या जन-प्रतिनिधि से परामर्श के लिये बनायी गयी व्यवस्था का विवरण

नीति निर्धारण हेतु

5.1 क्या लोक प्राधिकरण द्वारा नीति निर्धारण के संबंध में जनता या जन-प्रतिनिधि की परामर्श/भागीदारी का कोई प्रावधान है ? यदि है तो व्यवस्था का विवरण इस प्रारूप में प्रस्तुत करें ।

इस संचालनालय के अन्तर्गत नीति निर्धारण के सम्बन्ध में जनता या जन-प्रतिनिधि के परामर्श/भागीदारी का कोई प्रावधान नहीं है ।

क्र.सं.	विषय/कृत्य का नाम	क्या इस विषय में जनता की भागीदारी अनिवार्य है ? (हां/नहीं)	जनता की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिये की गई व्यवस्था
1	—	—	—

नीति के कार्यान्वयन हेतु

5.2 क्या लोक प्राधिकरण द्वारा नीति के कार्यान्वयन के संबंध में जनता या जन-प्रतिनिधि से परामर्श/ भागीदारी का कोई प्रावधान है ? यदि है तो व्यवस्था का विवरण इस प्रारूप में प्रस्तुत करें ।

उपरोक्त के परिप्रेक्ष्य में जानकारी निरंक है ।

क्र.सं.	विषय/कृत्य का नाम	क्या इस विषय में जनता की भागीदारी अनिवार्य है ? (हां/नहीं)	जनता की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिये की गई व्यवस्था
	—निरंक—	—निरंक—	—निरंक—

अध्याय—6 (मनुअल—5)

लोक प्राधिकारी के पास या उनके नियंत्रण में उपलब्ध दस्तावेजों का प्रवर्गों (Categories) के अनुसार विवरण

अध्याय-6 (मनुअल-5)

लोक प्राधिकारी के पास या उनके नियंत्रण में उपलब्ध दस्तावेजों का प्रवर्गों (Categories) के अनुसार विवरण

- 6.1 लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध शासकीय दस्तावेजों की जानकारी देने हेतु निम्न प्रारूप का प्रयोग करें । साथ ही यह भी बतायें की यह दस्तावेज कहां उपलब्ध रहते हैं जैसे- कि सचिव स्तर पर, निदेशालय स्तर पर अन्य (कृपया "अन्य" का उपयोग करने के स्थान पर स्तर का उल्लेख करें)

संचालनालय स्तर

क्र.	प्रवर्ग	दस्तावेज का नाम एवं एक पंक्ति में परिचय	दस्तावेज प्राप्त करने के लिये प्रक्रिया	धारक / नियंत्रणाधीन
1		कैशबुक	अधिनियम में प्रावधानित प्रक्रिया अनुसार ।	लेखापाल
2		लॉगबुक	---	वाहन चालक
3		सेवा-पुस्तिका एवं सेवा अभिलेख	---	अधीक्षक
4		सामान्य भविष्य निधि	---	लेखापाल
5		जी.आई.एस. / एफ.बी.एफ.	---	लेखापाल
6		कन्टेन्जेन्ट रजिस्टर	---	लेखापाल
7		आवक-जावक रजिस्टर	---	पटल प्रभारी सहायक ग्रेड-3
8		डांक पंजी	---	पटल प्रभारी सहायक ग्रेड-3
9		तकनीकी कार्य प्रगति समीक्षा नस्ती (लक्ष्य एवं पूर्ति)	---	पटल प्रभारी सहायक ग्रेड-3
10		क्रय पंजी	---	पटल प्रभारी स्टोर सहायक ग्रेड-3
11		बिल रजिस्टर	---	लेखापाल
12		चेक एवं ड्राफ्ट पंजी	---	लेखापाल
13		भुगतान प्राप्ति(अभिलेख) पंजी	---	लेखापाल
14		भण्डार पंजियां	---	पटल प्रभारी स्टोर सहायक ग्रेड-3
15		लाइब्रेरी पंजी	---	लायब्रेरी प्रभारी
16		दूरभाष पंजी	---	शीघ्रलेखक
17		योजनाओं की समीक्षा नस्ती	---	पटल प्रभारी सहायक ग्रेड-3
18		बजट(प्लान / नान प्लान) नस्ती	---	पटल प्रभारी सहायक ग्रेड-2
19		भारत शासन से संबंधित योजनाओं की नस्ती	---	पटल प्रभारी सहायक ग्रेड-3
20		यंत्र, प्रदर्शन, निर्माण, वितरण अनुदान के लक्ष्य एवं पूर्ति नस्ती	अधिनियम में प्रावधानित प्रक्रिया अनुसार ।	पटल प्रभारी सहायक ग्रेड-3
21		उपस्थिति पंजी	---	अधीक्षक
22		क्रय सम्बन्धी नस्ती	---	पटल प्रभारी, सहायक ग्रेड-2
23		नीलामी की नस्तियाँ	---	पटल प्रभारी, सहायक ग्रेड-3
24		भौतिक सत्यापन	---	पटल प्रभारी, सहायक ग्रेड-3
25		अंचल सम्पत्ति विवरण	---	पटल प्रभारी, सहायक ग्रेड-3
26		वरिष्ठता सूची	---	पटल प्रभारी, सहायक ग्रेड-1
27		निरीक्षण रोस्टर	---	पटल प्रभारी, सहायक ग्रेड-3

अध्याय –7 (मैनुअल–6)

बोर्ड, परिषदों, समितियों एवं अन्य
निकायों का विवरण

अध्याय -7 (मैनुअल-6)

बोर्ड, परिषदो, समितियों एवं अन्य निकायों का विवरण

7.1 कृपया लोक प्राधिकरण से संबद्ध बोर्ड, परिषदों, समितियों एवं अन्य निकायों का संक्षिप्त विवरण निम्न प्रारूप के आधार पर दें :-

कृषि यंत्री, कृषि अभियांत्रिकी से कृषि स्थायी समितियां संबद्ध है । जो प्रत्येक जिले में स्थापित हैं ।

संबद्ध संस्था का नाम एवं पता	-	निरंक
संबद्ध संस्था का प्रकार (बोर्ड, परिषद, समिति, निकाय या अन्य)	-	निरंक
संबद्ध संस्था की संक्षिप्त पारिचय (स्थापना वर्ष, उद्देश्य/मुख्य कृत्य)	-	निरंक
संबद्ध संस्था की भूमिका (परामर्शदात्री/प्रबंधकारिणी/कार्यकारिणी अन्य)	-	निरंक
<u>स्वरूप एवं वर्तमान सदस्य</u>		
मुख्य अधिकारी का नाम	-	निरंक
मुख्य कार्यालय एवं अन्य शाखाओं के पते	-	निरंक
बैठक की आवृत्ति	-	निरंक
क्या बैठक में जनता भाग ले सकती है ?	-	निरंक
क्या बैठक के कार्यवृत्त तैयार की जाती है ?	-	निरंक
क्या जनता बैठक का कार्यवृत्त प्राप्त कर सकती है ? अगर हां तो प्रक्रिया का विवरण दें ।	-	निरंक

अध्याय-8 (मैनुअल-7)

लोक सूचना अधिकारियों के नाम,
पदनाम एवं अन्य विशिष्टियां

अध्याय-8 (मैनुअल-7)

लोक सूचना अधिकारियों के नाम, पदनाम एवं अन्य विशिष्टियां

सहायक लोक सूचना अधिकारी :

क्र. सं.	नाम	पदनाम	STD कोड	दूरभाष		फैक्स	ई-मेल	पता
				कार्यालय	आ.			
1	श्री एस.पी.शुक्ला	स0ग्रेड-2	0761	2480928	-	2659822	aejbp@rediffmail.com	कार्या. कृषि यंत्री जबलपुर
2	श्री आर.एस. पटेल	लेखापाल	0761	2480928	-	-	aejbp@rediffmail.com	कार्या. सहा. कृषि यंत्री(हल.)जबलपुर
3	श्री बी.एल. सोनी	लेखापाल	0761	2480928	-	-	aejbp@rediffmail.com	कार्या. सहा. कृषि यंत्री(कर्म.)जबलपुर
4	श्री एल.एम. दुवे	लेखापाल	07692	225930				कार्यालय सहायक कृषि यंत्री सिवनी

लोक सूचना अधिकारी :

1	श्री वाय.एस. नागोत्रा	कृषि यंत्री	0761	2480928		2659822	aejbp@rediffmail.com	कार्या. कृषि यंत्री जबलपुर
2	श्री ए.के.त्रिपाठी	स0कृ0यंत्री (हल0)जबलपुर	0761	2480928	-	-	aejbp@rediffmail.com	कार्या. सहा. कृषि यंत्री(हल.)जबलपुर
3	श्री रविकुमार राणा	स0कृ0यंत्री (कर्म.)जबलपुर	0761	2480928	-	-	aejbp@rediffmail.com	कार्या. सहा. कृषि यंत्री(कर्म.)जबलपुर
4	श्री एल.पी. द्विवेदी	सहायक कृषि यंत्री सिवनी	07692	225930		-		कार्यालय सहायक कृषि यंत्री सिवनी

अपीलीय अधिकारी (संचालनालय स्तर के लिये)

1	श्री आर.वाय. चतुर्वेदी	संचालक कृषि (अभियांत्रिकी)	0755	2583313	2556157	2583631	dage@sify.com	संचालनालय कृषि अभियांत्रिकी
---	------------------------	----------------------------	------	---------	---------	---------	---------------	-----------------------------

अपीलीय अधिकारी (संभाग स्तर के लिये)

2	श्री वाय.एस. नागोत्रा	कृषि यंत्री	0761	2480928	2480407	2659822	aejbp@rediffmail.com	कार्या. कृषि यंत्री जबलपुर
---	-----------------------	-------------	------	---------	---------	---------	----------------------	----------------------------

जबलपुर, कटनी, मण्डला, सिवनी, बालाघाट, नरसिंहपुर, डिण्डोरी, छिन्दवाड़ा जिले के लिये

अपीलीय अधिकारी (उपसंभाग स्तर के लिये)

3	श्री ए.के. त्रिपाठी	स0कृ0यंत्री (ह0)जबलपुर	0761	2480928	2554837	-	-	कार्यालय सहायक कृषि यंत्री (हल0) जबलपुर
3.	श्री रविकुमार राणा	स0कृ0यंत्री (क0)जबलपुर	0761	2480928	-	-	aejbp@rediffmail.com	कार्यालय सहायक कृषि यंत्री (कर्म0) जबलपुर
4.	श्री एल.पी. द्विवेदी	स0कृ0यं0 सिवनी						कार्यालय सहायक कृषि यंत्री सिवनी

सिवनी, छिन्दवाड़ा, मण्डला, बालाघाट जिले के लिये

अध्याय-9 (मैनुअल-8)



निर्णय लेने की प्रक्रिया

अध्याय-9 (मैनुअल-8)



निर्णय लेने की प्रक्रिया

9.1 निर्णय लेने की प्रक्रिया


(अ) संचालनालय स्तर पर




(ब) संभागीय स्तर पर (कृषि यंत्री)



(स) उप संभागीय स्तर (सहायक कृषि यंत्री)




9.2 किसी विशेष विषय पर निर्णय लेने का स्तर



9.3 लिये गये निर्णय को जनता तक पहुँचाने की व्यवस्था संबंधित को सूचना भेजी जावेगी ।

9.4 विभिन्न स्तर पर किन अधिकारियों की संस्तुति निर्णय लेने के लिये प्राप्त की जाती है ?



9.5 अन्तिम निर्णय लेने के लिये प्राधिकारित अधिकारी —

संचालक कृषि अभियांत्रिकी

9.6 मुख्य विषय जिस पर लोक प्राधिकरण द्वारा निर्णय लिया जाता है उसका विवरण :-

क. सं.	
विषय (जिसके संबंध में निर्णय लिया जाना है)	1. कृषि यंत्रों की दर निर्धारण 2. मशीनों की किराया दर निर्धारण
दिशा-निर्देश (यदि हो तो)	1. यंत्रों के निर्माण में लगने वाले रॉ-मटेरियल की दर पर आधारित 2. मशीनों में लगने वाले स्पेयर्स व पी.ओ.एल. की दर पर आधारित
निर्णय लेने की प्रक्रिया	1. शासन द्वारा गठित समिति द्वारा 2. शासन स्तर से
निर्णय लेने में शामिल अधिकारी के पदनाम एवं सम्पर्क सूचना	1. 1. संचालक कृषि अभियांत्रिकी (अध्यक्ष) 2. वरिष्ठ वैज्ञानिक, केन्द्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान, नबीवाग, भोपाल (सदस्य) 3. उप महाप्रबंधक (इंजी.) म.प्र. राज्य कृषि उद्योग विकास निगम भोपाल (सदस्य) 4. कृषि यंत्री (अनुसंधान) भोपाल (सदस्य) 5. कृषि यंत्री (मुख्यालय) (सदस्य) 2. शासन स्तर
निर्णय के विरुद्ध कहां और कैसे अपील करें	1. मध्य प्रदेश शासन 2. संचालक कृषि अभियांत्रिकी, भोपाल

अध्याय—10 (मैनुअल—9)
अधिकारियों और कर्मचारियों की
निर्देशिका

अध्याय-10 (मैनुअल-9)

अधिकारियों और कर्मचारियों की निर्देशिका

10.1 अधिकारियों / कर्मचारियों की निर्देशिका की जानकारी निम्नानुसार है :-

क्र०	नाम	पदनाम	एस.टी. डी. कोड	दूरभाष		फैक्स	ई-मेल	पता
				कार्यालय	आवास			
1	श्री आर.वाय. चतुर्वेदी	संयुक्त संचालक कृषि (यां.)	0755	2583313	2556157	2583631	dage@sify. com	संचालनालय कृषि अभियां० आफिस काम्प्लैक्स, बी.ब्लाक, गौतम नगर, भोपाल
2	श्री वाय.एस. नागोत्रा	कृषि यंत्री जबलपुर	0761	2480928	2480407	—	aejbp2001@ yahoo.com	कार्या. कृषि यंत्री जबलपुर
3	श्री ए.के. त्रिपाठी	सहा कृषि यंत्री (हल.) जबलपुर	0761	2480928	—	—	aejbp2001@ yahoo.com	कार्या. सहायक कृषि यंत्री (हल.) जबलपुर
4	श्री रविकुमार राणा	सहा कृषि यंत्री (क०.) जबलपुर	0761	2480928	—	—	aejbp2001@ yahoo.com	कार्या. सहायक कृषि यंत्री (कर्म.) जबलपुर
5	श्री एल.पी. द्विवेदी	सहायक कृषि यंत्री सिवनी	—	—	—	—	—	कार्या. सहायक कृषि यंत्री सिवनी

अध्याय-11 (मैनुअल-10)

प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारियों
द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक और
उसके निर्धारण की पद्धति

अध्याय-11 (मैनुअल-10)

प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारियों द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक और उसके निर्धारण की पद्धति

क	कर्मचारी का नाम	पदनाम	मूल वेतन	मंहगाई भत्ता	पारितोषिक / पारितोषिक भत्ता	पारिश्रमिक के निर्धारण की पद्धति जो नियमावली में दी गयी हो ।
कार्यालय कृषि यंत्री ,जबलपुर						
1	श्री वाय.एस.नागोत्रा	कृषि यंत्री	13,250	7288	120	
2	आर.ए.मिश्रा	मुख्य लिपिक	6125	3369	660	
3	ए.बी.धुर्वे	लेखापाल	5600.	3080	415	
4	जे.पी.विश्वकर्मा	लेखापाल	6875	3781	770	
5	एस.पी.शुक्ला	सहा0ग्रेड-2	6875	3781	720	
6	ओ.पी.पाण्डेय	सहा0ग्रेड-2	6000.	3300	650	
7	व्ही.पी.यादव	सहा0ग्रेड-2	5100	2805	523	
8	विजय महोबिया	सहा0ग्रेड-2	4000	2200	405	
9	श्रीमती शीला चौबे	सहा0ग्रेड-3	4540	2497.	478	
10	श्रीमती प्रतिमा दुबे	सहा0ग्रेड-3	3725	2049	383	
11	अशोक कुमार सेन	सहा0ग्रेड-3..	4590.	2525	482	
12	श्रीमती मालती चौहान	सहा0ग्रेड-3	3725	2049	383	
13	पन्नालाल चौरसिया	भृत्य	3215	1768	372	
14	मुन्नीलाल बर्मन	भृत्य	3590	1975	402	
15	शिवप्रसाद सौंधिया	भृत्य	2960	1628	342	
कार्यालय सहायक कृषि यंत्री (कर्मशाला) जबलपुर						
16	श्री आर.के.राणा	यांत्रिकी सहायक	7700	4235	786	
17	श्री मनोज कुमार भार्गव	—''—	7100	3905	738	
18	श्री ज्ञामसिंह धुर्वे	—''—	5000	2750	575	
19	श्री बी.एल.सोनी	लेखापाल	6000 .250	3438	720	
20	श्री आर.एन.यादव	सहा.ग्रेड-2	5625	3094	715	
21	श्रीमती उमा सेन	—''—	5100	2805	115	
22	श्री मुकेश कुमार गौर	सहा.ग्रेड -3	4590	2525	482	
23	श्री हेमराज सिंह कौरव	—''—	4270	2349	427	
24	श्री एम.के.कुलश्रेष्ठ	यांत्रिक	6125	3369	660	
25	श्री जहूर अहमद	—''—	6125	3369	660	
26	श्री लीलसिंह कुशवाह	—''—	6000	3300	650	
27	श्री मोतीलाल अधिकारी	—''—	6000	3300	650	
28	श्री शोभाराम	—''—	6000	3300	650	
29	श्री प्रकाश सोहले	—''—	5900	3245	587	
30	श्री काशीराम डहेरिया	—''—	4800	2640	499	
31	श्री रमेश कुमार शेण्डे	हलयंत्र चालक	4900	2695	507	
32	श्री छोटेलाल बर्मा	—''—	3660	2013	85	
33	श्री बाल्मीक पटैल	—''—	3660	2013	378	
34	श्री रमेश प्रताप सिंह	—''—	3900	2145	397	

क	कर्मचारी का नाम	पदनाम	मूल वेतन	मंहगाई भत्ता	पारितोषिक / पारितोषिक भत्ता	पारिश्रमिक के निर्धारण की पद्धति जो नियमावली में दी गयी हो ।
35	श्री सी.के.यादव	ए.सी.ओ.	5400	2970	547	
36	श्री नामदेव भारती	—''—	3980	2189	403	
37	श्री नरेश कुमार नायडू	—''—	3980	2189	403	
38	श्री अयोध्या प्र० पटेल	—''—	3980	2189	403	
39	श्री मनुआ रैकवार	—''—	3900	2145	397	
40	श्री बुद्ध सेन पटेल	—''—	3660	2013	378	
41	श्री अभयराज सेन	—''—	3660	2013	378	
42	श्री जेहर सिंह	—''—	3580	1969	371	
43	श्री लालमन पासी	डी.बी.	4900	2695	507	
44	श्री विजय उगले	—''—	3980	2189	403	
45	श्री नन्हेलाल साहू	—''—	3900	2145	98	
46	श्री महेश प्रसाद लखेरा	विद्युतकार	3660	2013	378	
47	श्री रूपचंद सोनी	ब्लेक स्मिथ	3200	1760	341	
48	श्री रामलाल केवट	—''—	3200	1760	341	
49	श्री गिर बहादुर	भृत्य	3660	2013	408	
50	श्रीमती मुन्नी बाई बर्मन	—''—	2660	1463	318	
51	श्री अन्थोनी दास	स्वच्छक	3200	1760	371	
52	श्री पुष्पेन्द्र कुमार	—''—	2660	1463	318	
53	श्री प्रकाश कुमार चौधरी	—''—	2660	1463	318	
54	श्री खेलचंद सोनेकर	मेट	3215	1768	372	
55	श्री हीरालाल बारी	—''—	3140	1727	366	
56	श्री साहबलाल पटेल	—''—	3080	1694	361	
57	श्री देव सिंह ठाकुर	—''—	3020	1661	357	
58	श्री रामकृपाल नापित	—''—	2840	1562	332	
59	श्री रामकृपाल विश्वकर्मा	—''—	2840	1562	332	
60	श्री सीताराम मिश्रा	—''—	2840	1562	382	
61	श्री देवन्द्र कुमार पाठक	—''—	2840	1562	305	
62	श्री कन्हैया लाल विश्वकर्मा	—''—	2720	1496	323	
63	श्री देवी सिंह ठाकुर	—''—	2720	1496	105	
34	श्री कमलेश सिंह परस्ते	—''—	2660	1463	318	
65	श्री देवी प्रसाद बरकडे	—''—	2660	1463	318	
66	श्री चंद्रपाल सिंह	—''—	2660	1463	318	
67	श्री केदार प्र० अग्निहोत्री	—''—	2660	1463	318	
68	श्री सिद्धार्थ मेश्राम	—''—	2660	1463	318	
69	कुमारी निधि बाजपेई	मेट	2660	1463	318	
70	श्री नारायण चौधरी	—''—	2660	1463	318	
71	श्री नारायण सिंह धुर्वे	—''—	2605	1433	318	
72	श्री चन्द्रबली सिंह	हेमरमेन	2660	1463	318	
कार्यालय सहायक कृषि यंत्री (हलयंत्र) जबलपुर						
73	ए.के.त्रिपाठी	स०कृ०यं०	9375	5156	120	
74	आर.एस.पटेल	लेखापाल	6000	3300	700	
75	जीतलाल यादव	स०ग्रेड-2	5300	2915	539	

क	कर्मचारी का नाम	पदनाम	मूल वेतन	मंहगाई भत्ता	पारितोषिक / पारितोषिक भत्ता	पारिश्रमिक के निर्धारण की पद्धति जो नियमावली में दी गयी हो ।
76	पी.सी.त्रिवेदी	सहा0ग्रे0-3	4620	2541	485	
77	ओ.पी.पाण्डेय	---तदैव---	3725	2049	383	
78	व्ही.व्ही.मोर्घ	यां0सहा0	8000	4400	320	
79	उदयवीर सिंह	---तदैव---	7700	4235	170	
80	रामप्रसाद कोरी	---तदैव---	6200	3410	666	
81	डी.के.श्रीवास्तव	कृ0वि0अ0	6500	3575	690	
82	टी.एस.नायडु	ग्रा0कृ0वि0अ0	6000	3300	850	
83	मानसिंह चौहान	यांत्रिक	5200	2860	208	
84	एस.के.चौधरी	---तदैव---	6125	3369	660	
85	झनकलाल गौड़	---तदैव---	3980	2189	159	
86	व्ही.आई.थामस	हल0चालक	5700	3135	636	
87	लालमणि वर्मा	---तदैव---	5200	2860	531	
88	जगतबहादुर सिंह	---तदैव---	5800	3190	232	
89	नारायण सिंह	---तदैव---	5200	2860	208	
90	हीरालाल घोसी	---तदैव---	5900	3245	236	
91	बी.बी.जोशी	---तदैव---	5700	3135	228	
92	मानसिंह मेहरा	---तदैव---	5000	2750	200	
93	रामाधार राजपूत	---तदैव---	4140	2277	416	
94	कामता प्रसाद सरैया	---तदैव---	4140	2277	416	
95	अंगद कुमार चौरे	---तदैव---	4140	2277	416	
96	बी.पी.साकलिया	---तदैव---	4140	2277	416	
97	जगदीश प्रसाद	---तदैव---	4140	2277	416	
98	हरिषंकर चौरे	---तदैव---	4140	2277	416	
99	कमलकृष्ण हलधर	---तदैव---	4140	2277	416	
100	संतोष चौरे	---तदैव---	4140	2277	416	
101	एम.एस.चतुर्वेदी	---तदैव---	4060	2233	410	
102	द्वारका प्रसाद चौधरी	हल0चालक	3980	2189	403	
103	राजबहादुर चौधरी	---तदैव---	3980	2189	159	
104	रमेश कुशवाहा	---तदैव---	3980	2189	403	
105	शेख लतीफ	---तदैव---	3980	2189	159	
106	एस.एल.नौरिया	---तदैव---	3980	2189	159	
107	ओ.पी.प्रजापति	---तदैव---	3980	2189	159	
108	समशेरबहादुर सिंह	---तदैव---	3980	2189	403	
109	ए.के.राय	---तदैव---	3900	2145	85	
110	राधाकिशन मेहरा	---तदैव---	5100	2805	523	
111	रामदास कनोजिया	---तदैव---	3820	2101	391	
112	संतोष पाटर	---तदैव---	3660	2013	146	
113	रामनारायण काछी	---तदैव---	3660	2013	146	
114	अनुसुईया प्रसाद सेन	---तदैव---	3980	2189	403	
115	गणेश प्रसाद चढ़ार	---तदैव---	4700	2585	491	
116	रमेश पडघने	---तदैव---	3580	1969	143	
117	संजय खण्डारे	---तदैव---	3500	1925	365	

क्र	कर्मचारी का नाम	पदनाम	मूल वेतन	मंहगाई भत्ता	पारितोषिक / पारितोषिक भत्ता	पारिश्रमिक के निर्धारण की पद्धति जो नियमावली में दी गयी हो ।
118	रजनीष कुमार बारी	---तदैव---	3500	1925	365	
119	हाकिम सिंह	---तदैव---	3500	1925	140	
120	यू.पी.उपाध्याय	वा0चालक	1530	4574	590	
121	सेवाराम बर्मन	स्वच्छक	3660	2013	408	
122	ए.के.द्विवेदी	---तदैव---	3020	1661	121	
123	रावेन्द्र प्रसाद वर्मा	---तदैव---	3020	1661	357	
124	राकेश सिंह	---तदैव---	3020	1661	357	
125	गीताप्रसाद मिश्रा	---तदैव---	2840	1562	332	
126	मुन्नालाल ढीमर	---तदैव---	2840	1562	344	
127	प्रभुदयाल गर्ग	---तदैव---	2840	1562	332	
128	राजेश कुमार पटेल	---तदैव---	2720	1496	323	
129	अमान सिंह	---तदैव---	2840	1562	144	
130	जगदीश प्रसाद चौधरी	---तदैव---	2660	1463	136	
131	अरुण कुमार गर्ग	---तदैव---	2660	1463	318	
132	देवसिंह जॉटव	---तदैव---	2660	1463	318	
133	श्रीनिवास शर्मा	---तदैव---	2660	1463	318	
134	रावेन्द्र शुक्ला	---तदैव---	2660	1463	318	
135	राजेन्द्र महोबिया	---तदैव---	2660	1463	318	
136	निर्मल दीक्षित	भृत्य	3520	1936	397	
137	श्रीमती पुष्पा मोघे	---तदैव---	3150	1733	115	
138	आर.के.मिश्रा	चौकीदार	3215	1768	372	

अध्याय-12 (मैनुअल-11)

प्रत्येक अभिकरण को आवंटित

बजट

(सभी योजनाओं, व्यय प्रस्तावों तथा

धन वितरण की सूचना)

अध्याय-12 (मैन्युअल-11)

प्रत्येक अभिकरण को आवंटित बजट
(सभी योजनाओं , व्यय प्रस्तावों तथा धन वितरण की सूचना)

12.1 (अन्य लोक प्राधिकरण के लिये)

कार्यालय के लिये वर्षवार बजट आवंटन तथा उसके उपयोग की जानकारी वर्ष 2004-05 एवं 2005-06 (अगस्त,05 तक)

(रूपये लाख में)

12.1.1 वर्ष 2004-05

क्र.	मद	प्रस्तावित बजट	स्वीकृत बजट	संचालनालय द्वारा प्रदत्त (किस्तों में) (वर्ष 2005-06)	कुल व्यय
कार्यालय कृषि यंत्री जबलपुर					
1.	13-कृषि (आयोजनेत्तर) 2401-113-893-कृषि इंजीनियरिंग	16,99,700	16,99,700	16,99,700	17,00,825
2.	13-कृषि (आयोजनेत्तर) 2401-113-4204-मशीन ट्रेक्टर स्टेशन योजना	12,00,500	12,00,500	12,00,500	11,80,455
3.	45-लघु सिंचाई निर्माण कार्य (आयोजनेत्तर) 2702-101-01-1403-छिद्रण तथा विस्फोटक द्वारा कुओं को गहरा करने की योजना	04,000	04,000	04,000	03,998
4.	13-कृषि (आयोजना) 2401-113-8174-मशीन ट्रेक्टर स्टेशन योजनाओं का सुदृढीकरण	72,800	72,800	72,800	72,788
5.	13-कृषि (आयोजना) 2401-113-7577-कृषि अभियांत्रिकी के अधिकारी कर्मचारी को प्रशिक्षण	47,000	47,000	47,000	47,000
6.	13-कृषि (आयोजना) 2401-113-801-6697-नवीन कृषि उपकरण का कृषकों के खेतों में परीक्षण	1,75,000	1,75,000	1,75,000	1,74,979
योग:-		31,99,000	31,99,000	31,99,000	31,80,045

कार्यालय सहायक कृषि यंत्री (कर्मषाला) जबलपुर					
1.	13-कृषि (आयोजनेत्तर) 2401-113-893-कृषि इंजीनियरिंग	23,44,100	23,44,100	23,44,100	22,50,595
2.	13-कृषि (आयोजनेत्तर) 2401-113-4204-मशीन ट्रेक्टर स्टेशन योजना	9,66,300	9,66,300	9,66,300	8,81,668
3.	45-लघु सिंचाई निर्माण कार्य (आयोजनेत्तर) 2702-101-01-1403-छिद्रण तथा विस्फोटक द्वारा कुओं को गहरा करने की योजना	30,42,900	30,42,900	30,42,900	29,83,503
4.	13-कृषि (आयोजना) 2401-113-801-6697-नवीन कृषि उपकरण का कृषकों के खेतों में परीक्षण	25,000	25,000	25,000	25,000
योग:-		63,78,300	63,78,300	63,78,300	61,40,766
कार्यालय सहायक कृषि यंत्री (हलयंत्र) जबलपुर					
1.	13-कृषि (आयोजनेत्तर) 2401-113-4204-मशीन ट्रेक्टर स्टेशन योजना	94,26,700	94,26,700	94,26,700	92,43,011
2.	13-कृषि (आयोजना) 2401-113-801-6697-नवीन कृषि उपकरण का कृषकों के खेतों में परीक्षण	15,000	15,000	15,000	14,967
योग:-		94,41,700	94,41,700	94,41,700	92,57,978

(रुपये लाख में)

क्र.	मद	प्रस्तावित बजट (वर्ष 2005-06)	स्वीकृत बजट (वर्ष 2005-06)	संचालनालय द्वारा प्रदत्त (किश्तों में) (वर्ष 2005-06)	कुल व्यय (अगस्त05 तक) (वर्ष 2005-06)
कार्यालय कृषि यंत्री जबलपुर					
1.	13-कृषि (आयोजनेत्तर) 2401-113-893-कृषि इंजीनियरिंग	11,03,000	11,03,000	11,03,000	8,08,704
2.	13-कृषि (आयोजनेत्तर) 2401-113-4204-मशीन ट्रेक्टर स्टेशन योजना	05,11,000	05,11,000	05,11,000	3,79,771
3.	13-कृषि (आयोजना) 2401-113-8174-मशीन ट्रेक्टर स्टेशन योजनाओं का सुदृढीकरण	02,57,500	02,57,500	02,57,500	2,12,100
4.	13-कृषि (आयोजना) 2401-113-801-6697-नवीन कृषि उपकरण का कृषकों के खेतों में परीक्षण	00,32,350	00,32,350	00,32,350	00,54,067
योग:-		19,03,850	19,03,850	19,03,850	14,54,642
कार्यालय सहायक कृषि यंत्री (कर्मषाला) जबलपुर					
1.	13-कृषि (आयोजनेत्तर) 2401-113-893-कृषि इंजीनियरिंग	16,30,000	16,30,000	16,30,000	08,56,838
2.	13-कृषि (आयोजनेत्तर) 2401-113-4204-मशीन ट्रेक्टर स्टेशन योजना	09,75,500	09,75,500	09,75,500	07,39,743
3.	45-लघु सिंचाई निर्माण कार्य (आयोजनेत्तर) 2702-101-01-1403-छिद्रण तथा विस्फोटक द्वारा कुओं को गहरा करने की योजना	19,71,000	19,71,000	19,71,000	10,94,904
4.	13-कृषि (आयोजना) 2401-113-801-6697-नवीन कृषि उपकरण का कृषकों के खेतों में परीक्षण	00,20,000	00,20,000	00,20,000	—
योग :-		45,96,500	45,96,500	45,96,500	26,91,485
कार्यालय सहायक कृषि यंत्री (हलयंत्र) जबलपुर					
1.	13-कृषि (आयोजनेत्तर) 2401-113-4204-मशीन ट्रेक्टर स्टेशन योजना	75,28,000	75,28,000	75,28,000	50,82,112
2.	13-कृषि (आयोजना) 2401-113-801-6697-नवीन कृषि उपकरण का कृषकों के खेतों में परीक्षण	00,20,000	00,20,000	00,20,000	08,780
योग:-		75,48,000	75,48,000	75,48,000	50,90,892

अध्याय-13 (मैनुअल-12)

अनुदान / राज सहायता कार्यक्रमों
के क्रियान्वयन की रीति

अध्याय-13 (मैनुअल-12)

अनुदान/राज सहायता कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की रीति

13.1

- कार्यक्रम/योजना का नाम – केन्द्र पोषित मैक्रो मैनेजमेन्ट योजना के अन्तर्गत “कृषि यंत्रीकरण को प्रोत्साहन” कार्यक्रम
- कार्यक्रम/योजना के प्रभावी रहने की समय सीमा – वित्तीय वर्ष 2004-05 एवं 2005-06
- कार्यक्रम का उद्देश्य – म.प्र. के समस्त जिलों में हस्तचलित, बैलचलित एवं शक्तिचलित कृषि यंत्रों तथा 35 पी.टी.ओ. हार्सपावर तक के ट्रैक्टर व पावर टिलर का अनुदान पर उप संचालक कृषि के माध्यम से वितरण कराना ।

कार्यक्रम के भौतिक एवं वाणिज्यिक लक्ष्य (विगत वर्ष में) – भौतिक लक्ष्य निम्नानुसार हैं , वाणिज्यिक लक्ष्य पृथक से उपलब्ध धनराशि के विवरण में आगे जिलेवार दर्शाये गये हैं :-

वर्ष	लक्ष्य (संख्या)			वितरण (संख्या)		
	ट्रैक्टर	शक्ति चलित यंत्र	हस्तचलित/बैल चलित कृषि यंत्र	ट्रैक्टर	शक्ति चलित यंत्र	हस्तचलित/बैल चलित कृषि यंत्र
2004-05	127	812	17200	91	153	17663
2005-06 (वितरण दिनांक 30.9.05 की स्थिति में)	62	1053	19564	03	30	9432

- लाभार्थी की पात्रता – सभी श्रेणी के कृषकों को उन्नत कृषि यंत्र प्राप्त करने की पात्रता है । लघु, सीमान्त, अ.जा. अ.ज.जा. एवं महिला कृषकों को प्राथमिकता दी जाती है ।
- पूर्वापेक्षाएं – सभी श्रेणी के कृषकों को उन्नत कृषि यंत्र एवं उपकरण प्राप्त करने की पात्रता है बशर्ते उसने पूर्व में किसी भी अन्य योजना में उस पर लाभ न लिया हो ।
- अनुदान/सहायता प्राप्त करने की प्रक्रिया – 1. वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी जनपदवार पात्र कृषकों की सूची तैयार कर उप संचालक कृषि को प्रस्तुत करेगा ।
2. उप संचालक कृषि प्राप्त प्रकरणों का जिलास्तर पर परीक्षण कर जिला पंचायत की कृषि स्थायी समिति से अनुमोदन उपरान्त अनुदान की पात्रता एवं लक्ष्यों के अनुसार प्रकरण स्वीकृत करेगा ।

पात्रता निश्चित करने के लिये मापदण्ड

- हस्तचलित/बैलचलित उन्नत कृषि यंत्र – सभी श्रेणी के कृषकों को उन्नत कृषि यंत्र अनुदान पर प्राप्त करने की पात्रता होगी।लघु,सीमान्त,अ.जा.,अ.ज.जा.एवं महिला कृषकों को प्राथमिकता दी जावेगी
- शक्तिचलित कृषि यंत्र एवं पावर टिलर – सभी श्रेणी के कृषकों को उन्नत कृषि यंत्र अनुदान पर प्राप्त करने की पात्रता होगी, बशर्ते उसने पूर्व के वर्षों में किसी भी अन्य योजना में उस पर लाभ न लिया हो । शक्तिचलित कृषि यंत्र हेतु स्वयं का ट्रैक्टर होना अनिवार्य है ।

- 35 पी.टी.ओ. तक के ट्रैक्टर – 1. अनुदान की पात्रता उन कृषकों को होगी, जिनके स्वयं या उनके परिवार के पास पूर्व से कोई ट्रैक्टर नहीं हो ।
2. कृषक समूहों को भी अनुदान की पात्रता होगी
3. बैंक ऋण से ही ट्रैक्टर क्रय करने पर अनुदान दिया जावेगा ।
4. ट्रैक्टर का क्रय म.प्र. राज्य कृषि उद्योग विकास निगम से करना होगा ।
5. अनुमोदित मेक का ट्रैक्टर ही प्रदाय किया जावेगा ।

दिये जाने वाले अनुदान/सहायता का विवरण

क्रमांक	घटक	कृषकों को शासन द्वारा दिया जा रहा अनुदान
1	उन्नत कृषि यंत्र हस्त/बैलचलित	कीमत का 25% अधिकतम रूपये 1500/- में से जो भी कम हो ।
2	पावर टिलर	कीमत का 25% अधिकतम रूपये 30,000/- में से जो भी कम हो ।
3	ट्रैक्टर (35 पी.टी.ओ. हार्सपावर तक के ट्रैक्टर)	कीमत का 25% अधिकतम रूपये 30,000/- में से जो भी कम हो ।
4	शक्ति चलित कृषि यंत्र	
	(अ) ट्रैक्टर चलित उपकरण जैसे- एम.बी. प्लाऊ,आपसेट डिस्क हैरो ब्लेड टेरेसर/लेवलर, सीड-कम-फर्टिलाइजर ड्रिल, बंड फार्मर	कीमत का 25% अधिकतम रूपये 10,000/- में से जो भी कम हो ।
	(ब) मल्टीक्राप थ्रेशर	कीमत का 25% अधिकतम रूपये 8,500/- में से जो भी कम हो ।
	(स) विशिष्ट शक्ति चलित नवीन कृषि उपकरण जैसे- टिलेज सीड ड्रिल, सीड ग्रेडर मोटर सहित, रोटोवेटर, जीरो टिलेज सीड ड्रिल, शुगरकेन कटर प्लांटर, पोटेटो डिगर/पोटेटो प्लांट, ट्रैक्टर चलित फ्रन्ट माउण्टेड रीपर, स्ट्रा रीपर, मिनी राईस मिल, मेज शेलर	कीमत का 25% अधिकतम रूपये 30,000/- में से जो भी कम हो ।
	(द) स्वचलित कृषि यंत्र जैसे- पैडी ट्रान्सप्लांटर , सेल्फ प्रोपेल्ड रीपर (राइड ऑन वाकिंग टाइप)	कीमत का 25% अधिकतम रूपये 50,000/- में से जो भी कम हो ।

अनुदान/सहायता के वितरण की प्रक्रिया

- कृषि यंत्र प्रदायक संस्थायें कृषकों को कृषि यंत्र उपलब्ध कराने के बाद कृषकवार अनुदान राशि की मांग निर्धारित प्रपत्र में वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी से सत्यापन कराने के उपरान्त उप संचालक कृषि को प्रेषित करेंगे ।
- उप संचालक कृषि अनुदान राशि स्वीकृत कर भुगतान संबंधित संस्था को करेंगे ।

- बैंक ऋण पर उन्नत कृषि यंत्र कय करने वाले कृषकों के प्रकरण अनुदान आदेश के साथ आवेदन पत्र में उल्लेखित बैंक को उप संचालक कृषि द्वारा प्रेषित किये जायेंगे ।
- संचालक कृषि अभियांत्रिकी जिले के उप संचालक कृषि को कार्यक्रम क्रियान्वयन के लिये वित्तीय स्वीकृति के अनुरूप भौतिक लक्ष्य जारी करेंगे । हस्तचलित, बैलचलित तथा शक्तिचलित कृषि यंत्रों व पावर टिलर के लिये अनुदान राशि उप संचालक कृषि को आवंटित की जायेगी तथा ट्रैक्टर की अनुदान राशि मध्यप्रदेश राज्य कृषि उद्योग विकास निगम/जिला विपणन संघ को सीधे प्रदाय की जावेगी ।

आवेदन करने के लिये कहां/किससे संपर्क करें –

आवेदन करने के लिये संबंधित जिले के उप संचालक कृषि से संपर्क करें ।

आवेदन शुल्क

आवेदन प्रस्तुत करने की कोई शुल्क नहीं है ।

अन्य शुल्क

“निरंक”

आवेदन पत्र का प्रारूप
अनुदान पर कृषि यंत्र प्रदाय करने हेतु आवेदन-पत्र का प्रारूप

प्रति ,

उप संचालक ,

.....

मैं.....वल्द.....(अ.जा./अ.ज.जा./सा./पि.वर्ग) ग्राम.....वि.ख.....जिला.....
का निवासी हूँ । मेरे पास खेती कारकवा है । मैं पात्रता अनुसार कृषक अंश जमाकर निम्न उन्नत कृषि
यंत्र क्रय करना चाहता हूँ :-

(1).....

(2).....

(3).....

मैं वचन देता हूँ कि अनुदान पर प्राप्त यंत्र का उपयोग स्वयं की खेती के लिये करूंगा अन्यथा अनुदान राशि की
वापिसी की जबाबदारी मेरी स्वयं की होगी ।

दिनांक.....

कृषक के हस्ताक्षर
पता.....

(वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी/अनुविभागीय कृषि अधिकारी)

क्रमांक.....

दिनांक.....

प्रमाणित किया जाता है कृषक श्री.....वल्द.....ग्राम.....के निवासी हैं
कृषक लघु/सीमान्त/बड़े/श्रेणी का है या उसके पास खेती का रकवा.....एकड़/हेक्टर है कृषक को निम्न
विवरण अनुसार अनुदान की पात्रता है :-

क्रमांक	योजना का नाम	यंत्र का नाम	अनुदान	यंत्र की कीमत	अनुदान राशि	कृषक अंश
1.						
2.						
3.						

उपरोक्तानुसार कृषक अंश प्राप्त करके अनुदान राशि स्वीकृत करने की अनुशंसा की जाती है ।

प्रभारी अधिकारी

हस्ताक्षर/सील

सहा.कृषि यंत्री/शाखा प्रबंधक एग्री

वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी

कार्यालय.....कृषि अभियांत्रिकी शाखा/एम.पी. एग्री.....

क्रमांक.....

दिनांक.....

उपरोक्त विवरण अनुसार कृषक से कृषक अंश की राशि.....नगद रसीद क्रमांक.....
दिनांक.....द्वारा जमा कराकर कृषक को यंत्र प्रदाय किये गये हैं ।

1.

2.

जिसकी प्रविष्टि स्टॉक बुक के पृष्ठ क्रमांक..... में की गयी है ।

प्रति ,

कृषि यंत्र अच्छी हालत में प्राप्त किया ।

हस्ताक्षर/सील

उप संचालक कृषि
.....

कृषक के हस्ताक्षर

यांत्रिक सहायक/प्रभारी अधि.

संलग्नों की सूची

- ट्रेक्टर कृय करने हेतु खसरा , खतोनी एवं बी-1 की नकल
- शपथ पत्र
- बैंक की ऋण प्रदाय करने हेतु सहमति

संलग्नों का प्रारूप

जिले के उप संचालक कृषि के पास उपलब्ध प्रक्रिया से सम्बन्धित समस्या होने पर कहां संपर्क करें –
सम्बन्धित जिले के उप संचालक कृषि से संपर्क करना होगा ।
उपलब्ध धनराशि का विवरण

अनुदान हेतु धनराशि उप संचालक कृषि के पास उपलब्ध रहती है । वर्ष 2004-05 एवं 05-06 (सितम्बर,05 तक) आवंटन एवं व्यय का जिलेवार विवरण निम्नानुसार है :-

मैक्रो मैनेजमेन्ट योजनान्तर्गत जिलेवार आवंटन एवं व्यय वर्ष 2004-05

(रूपये लाख में)

क्र.	उप संचालक कृषि	मद क्रमांक 13-701-1580		मद क्रमांक 41-702-1580		मद क्रमांक 64-703-1580		योग	
		आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय
1	बालाघाट	14.72	11.17	2.52	0.33	2.00	0.69	19.24	12.19
2	छिन्दवाड़ा	8.78	5.96	1.95	0.43	0.47	0.05	11.21	6.44
3	डिण्डोरी	1.70	1.29	1.30	0	0.18	0	3.19	1.29
4	जबलपुर	2.50	1.45	2.07	0	0	0	4.57	1.45
5	कटनी	3.35	3.01	3.29	0	0.20	0	3.84	3.01
6	मण्डला	2.60	1.82	1.03	0.90	0.58	0.55	4.22	3.28
7	सिवनी	7.50	4.08	0.72	0.31	0	0	8.22	4.39
8	नरसिंहपुर	2.00	1.99	0	0	0	0	2.00	1.99
महायोग :-		43.15	30.77	12.88	1.97	3.43	1.29	56.49	34.04

मैक्रो मैनेजमेन्ट योजनान्तर्गत जिलेवार आवंटन एवं व्यय वर्ष 2005-06(सितम्बर,05 तक)

(रूपये लाख में)

क्र.	उप संचालक कृषि	मद क्रमांक 13-701-1580		मद क्रमांक 41-702-1580		मद क्रमांक 64-703-1580		योग	
		आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय
1	बालाघाट	0.80	0	1.50	0	1.24	0	3.54	0
2	छिन्दवाड़ा	2.35	0	0.50	0	0.10	0	2.95	0
3	डिण्डोरी	0.07	0	0.40	0	0.10	0	0.57	0
4	जबलपुर	2.95	0	0.40	0	0	0	3.35	0
5	कटनी	0.15	0	0.25	0	0.20	0	0.60	0
6	नरसिंहपुर	1.40	0	0	0	0	0	1.40	0
7	मण्डला	0.15	0	0.30	0	0.10	0	0.55	0
8	सिवनी	0.30	0	0.40	0	0	0	0.70	0
महायोग :-		8.17	0	3.75	0	1.74	0	13.66	0

लाभार्थी की सूची :- योजना के लाभार्थियों की सूची जिले में उप संचालक कृषि स्तर पर उपलब्ध है ।

विभाग द्वारा प्रदत्त क्रमांक	लाभार्थी का नाम	अनुदान की राशि	वल्दियत	पात्रता का आधार	निवास			
					जिला	शहर	मोहल्ला / ग्राम	मकान नं.

2. कार्यक्रम/योजना का नाम

कृषि यंत्री कार्यालय द्वारा दो योजनाओं का क्रियान्वयन किया जाता है :-

- मशीन ट्रैक्टर स्टेशन स्कीम
- ड्रिलिंग एवं बोरिंग योजना

कार्यक्रम/योजना के प्रभावी रहने की समय सीमा

वित्तीय वर्ष 2004-05 एवं 2005-06

कार्यक्रम का उद्देश्य

कृषकों को चैन टाइप ट्रैक्टर डोजर एवं गहरी जुताई मशीने एवं खेत की तैयारी जैसे-बोनी, बखरनी, कटाई एवं गहाई हेतु छोटे ट्रैक्टरों का शासकीय दर अनुसार प्रदाय करना । एयर कम्प्रेसर मशीनों द्वारा नलकूपों की यील्ड टेस्टिंग एवं बोर विकास कार्य करना ।

कार्यक्रम के भौतिक एवं वाणिज्यिक लक्ष्य एवं पूर्ति वर्ष 2004-05 एवं 2005-06 (अगस्त,05 तक)

वर्ष	योजना का नाम	कार्यक्रम का प्रकार	लक्ष्य	पूर्ति	वाणिज्यिक (रु.लाख में)	
					लक्ष्य	पूर्ति
सहायक कृषि यंत्री (हलयंत्र) जबलपुर						
2004-05	मशीन ट्रैक्टर स्टेशन योजना	डोजर कार्य गहरी जुताई	5500 घण्टे 300 एकड़	6008.01 190.06	38,65,000	38,39,196
	ड्रिलिंग एवं बोरिंग योजना	फालोअप कल्टीवेशन यील्ड टैस्टिंग	1000 घण्टे ----	846.46 ----	1,90,000	1,59,545
2005-06 (अगस्त,05तक)	मशीन ट्रैक्टर स्टेशन योजना	डोजर कार्य गहरी जुताई	4800 घण्टे 300 एकड़	3086.17	36,00,000	15,79,796
	ड्रिलिंग एवं बोरिंग योजना	फालोअप कल्टीवेशन यील्ड टैस्टिंग	1000 घण्टे ----	548.39 ----	1,90,000	1,09,765
सहायक कृषि यंत्री (कर्मपाला) जबलपुर						
2004-05	मशीन ट्रैक्टर स्टेशन योजना	डोजर कार्य गहरी जुताई	---- ----	---- ----	----	----
	ड्रिलिंग एवं बोरिंग योजना	फालोअप कल्टीवेशन यील्ड टैस्टिंग	2000 घण्टे ----	3016.41 17 यी.टे. 55 बोर स.	1,90,000	1,59,545
2005-06 (अगस्त,05तक)	मशीन ट्रैक्टर स्टेशन योजना	डोजर कार्य गहरी जुताई	---- ----	---- ----	----	----
	ड्रिलिंग एवं बोरिंग योजना	फालोअप कल्टीवेशन यील्ड टैस्टिंग	2000 घण्टे ----	2296.40 03 यी.टे. 27 बोर स.	4,40,000	4,50,410

लाभार्थी की पात्रता

सभी कृषक इस योजना का लाभ ले सकते हैं ।

पूर्वापेक्षायें

कृषक को अपना आवेदन जिले के यांत्रिक सहायक/सहायक कृषि यंत्री को कार्य की अग्रिम राशि के साथ करना होगा ।

अनुदान/सहायता प्राप्त करने की प्रक्रिया

“निरंक”

पात्रता निश्चित करने के लिये मापदण्ड

“प्रथम आये, प्रथम पावें” निर्धारित आवेदन में उल्लेखित शर्तों अनुसार ।

दिये जाने वाले अनुदान/सहायता का विवरण

“निरंक”

अनुदान/सहायता के वितरण की प्रक्रिया

“निरंक”

आवेदन करने के लिये कहां/किससे सम्पर्क करें

जिले के यांत्रिक सहायक/सहायक कृषि यंत्री से सम्पर्क करें ।

आवेदन शुल्क

“निरंक”

अन्य शुल्क

“निरंक”

आवेदन पत्र का प्रारूप

आवेदन पत्र का प्रारूप निम्नानुसार है :-

बुलडोजर/चेन टाईप ट्रैक्टर/एयर कम्प्रेसर/रोटावेटर/पावर टिलर/कम्बाईन हार्वेस्टर/रीपर मशीन के कार्य कराने हेतु आवेदन पत्र

प्रति,

सहायक कृषि यंत्री ,

द्वारा:- यांत्रिक सहायक

ट्रैक्टर यूनिट.....

1. आवेदक का नाम :.....
2. निवास स्थान :.....
3. तहसील एवं जिला :.....
4. उस भूमि की जानकारी जहाँ.....मशीन चाहिये.....जिला..... तहसील.....
पटवारी हल्का नं.....ग्राम..... खसरा नं.....जमीन का रकबा.....
5. किस कार्य हेतु मशीन की आवश्यकता है

6. मशीन द्वारा कितना कार्य कराया जाना है..... एकड़/घंटे
 7. अग्रिम जमा की जा रही राशि रू.....नगद/बैंक ड्राफ्ट
 8. कार्य कराने संबंधी जो विभागीय नियम हैं उनको मैंने समझ लिया है जिसका पालन मैं पूर्ण रूप से करूंगा ।
 अग्रिम राशि जमा की जावे ।

हस्ताक्षर

सहायक कृषि यंत्री

हस्ताक्षर आवेदक

आवेदक के लिये अन्य शर्तें

1. मशीन "प्रथम आवे, प्रथम पावे" के आधार पर प्रदाय की जावेगी, परन्तु सहायक कृषि यंत्री/यांत्रिक सहायक को यह अधिकार होगा कि वह मशीन अपने विवेक अनुसार प्रदाय करेंगे या हटा लेंगे ।
2. कार्य संपादन की अवधि में कार्य स्थल पर आवेदक स्वयं या उसका प्रतिनिधि उपस्थित रहेगा, जिससे मशीन निर्धारित समय से चलाई जा सके और आयडल न रह सके ।
3. यदि जमीन के नीचे पत्थर, डूँठ आदि पाये गये तो कार्य स्थल से मशीन तत्काल हटा ली जावेगी ।
4. यदि एक कार्य सीजन की अग्रिम की राशि शेष रहती है तो वह राशि अगले सीजन के लिये अग्रिम नहीं मानी जावेगी
5. अग्रिम जमा की गई राशि के विरुद्ध कार्य संपादित होने के पश्चात् अधिकतम 25 प्रतिशत ही कार्य और बढ़ाया जा सकेगा तथा इसके लिये भी जमा राशि का कार्य समाप्त होने के एक दिन पूर्व अग्रिम जमा कराया जावेगा ।

उपरोक्त शर्तें मुझे मान्य है ।

हस्ताक्षर आवेदक

संलग्नों की सूची

खेती से सम्बन्धित अभिलेखों की नकल ।

संलग्नों का प्रारूप

सम्बन्धित यांत्रिक सहायक/सहायक कृषि यंत्री के पास उपलब्ध ।

उपलब्ध धनराशि का विवरण :- अध्याय 12 में वर्णित अनुक्रमांक 1 से 8 तक में इसका विवरण दिया गया है ।

लाभार्थी की सूची :- जिले में उपसंभाग स्तर पर सहायक कृषि यंत्री कार्यालय में उपलब्ध है ।

विभाग द्वारा प्रदत्त क्रमांक	लाभार्थी का नाम	वल्दियत	पात्रता का आधार	निवास			
				जिला	शहर	मोहल्ला/ग्राम	मकान नं.

अध्याय – 14 (मैनुअल-13)

रियायतों, अनुज्ञापत्रों तथा प्राधिकारों
के प्राप्तिकर्ताओं के संबंध में विवरण

अध्याय – 14 (मैनुअल-13)

रियायतों, अनुज्ञा पत्रों तथा प्राधिकारों के प्राप्तिकर्ताओं के संबंध में विवरण

कृषि यंत्री, कृषि अभियांत्रिकी जबलपुर संभाग द्वारा किसी प्रकार की रियायत नहीं दी जाती है । इसलिए अनुज्ञा पत्रों तथा प्राधिकारों के संबंध में विवरण निरंक है ।

अध्याय – 15 (मैनुअल-14)

कृत्यों के निर्वहन के लिये स्थापित

मानक / नियम

अध्याय – 15 (मैनुअल-14)
कृत्यों के निर्वहन के लिये स्थापित मानक/नियम

15.1 लोक प्राधिकरण द्वारा अपने विभिन्न क्रियाकलापों/कार्यक्रमों के संपादन हेतु प्रयोग किये जाने मानक/नियमों का कार्यक्रमवार विवरण

क्रमांक	कार्यक्रम का विवरण	निर्धारित मापदण्ड
1.	ट्रेक्टर एवं पावर टिलर वितरण	<ol style="list-style-type: none"> 35 पी.टी.ओ. हार्सपावर तक के ट्रेक्टर अनुदान की अधिकतम सीमा रुपये 30,000/- सभी वर्ग के कृषकों के लिये । क्रय बैंक के माध्यम से ।
2.	शक्तिचलित यंत्र वितरण	<ol style="list-style-type: none"> मूल्य का 25 प्रतिशत अधिकतम राशि यंत्र विशेष के लिये पृथक-पृथक । यंत्र प्रदायक नोडल एजेन्सी एम.पी. एग्री एवं मार्केटिंग फेडरेशन । मूल्य का 25 प्रतिशत अथवा अनुदान हेतु अधिकतम निर्धारित में से जो कम हो ।
3.	बैलचलित यंत्र वितरण	<ol style="list-style-type: none"> मूल्य का 25 प्रतिशत अथवा 1500/- रुपये में से जो कम हो । क्रय एम.पी. एग्री/कृषि अभियांत्रिकी के माध्यम से ।
4.	प्रदर्शन	<ol style="list-style-type: none"> 0.4 हेक्टेयर में प्रदर्शन किया जाना है । मेला एवं प्रदर्शनी में कोई सीमा निर्धारित नहीं है ।
5.	प्रशिक्षण	<ol style="list-style-type: none"> जिलों से चयनित कृषकों को फार्ममशीनरी का प्रशिक्षण । प्रशिक्षण अवधि भिन्न-भिन्न विषय के लिये पृथक-पृथक उपलब्ध राशि रु. 25000 प्रति प्रशिक्षण, 20 कृषकों हेतु ।
6.	मशीनरी	<ol style="list-style-type: none"> नवीन विकसित एवं क्षेत्र के लिये उपयोगी ।

अध्याय – 16 (मैनुअल –15)
इलेक्ट्रॉनिक्स रूप से उपलब्ध
सूचनायें

अध्याय – 16 (मैनुअल –15)
इलेक्ट्रॉनिक्स रूप से उपलब्ध सूचनायें

16.1 विभाग द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों से सम्बन्धित जानकारी

कृषि अभियांत्रिकी संचालनालय मध्यप्रदेश भोपाल द्वारा संचालित की जा रही योजनाओं से संबंधित मूलभूत जानकारी संचालनालय की वेबसाइट <http://www.mp.nic/agriculture.agengg.htm> पर उपलब्ध हैं ।

अध्याय – 17 (मैनुअल-16)

सूचना प्राप्त करने के लिये

नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं का
विवरण

अध्याय – 17 (मैनुअल-16)

सूचना प्राप्त करने के लिये नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं का विवरण

17.1

- पुस्तकालय
- अखबारों के द्वारा
- प्रदर्शनी
- सूचना पटल
- विभागीय मैनुअल
- विभाग की वेबसाईट
- अन्य माध्यम से – प्रचार प्रसार जैसे – प्रशिक्षण, सेमीनार, संगोष्ठी आदि ।

अध्याय – 18 (मैनुअल-17)

अन्य उपयोगी जानकारियाँ

अध्याय – 18 (मैनुअल-17)

अन्य उपयोगी जानकारियाँ

18.1 लोक प्राधिकरण से जनमानस द्वारा सामान्यतः पूछे जाने वाले प्रश्न एवं उनके उत्तर

प्रश्न	उत्तर
<p>1 विभाग द्वारा कृषकों हेतु कौन-कौन सी योजनायें क्रियान्वित हैं और योजना के लाभ हेतु क्या करना होगा ?</p>	<p>विभाग द्वारा कृषकों हेतु निम्न योजनायें क्रियान्वित की जा रही हैं :-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. हलयंत्र योजना इस योजना के अन्तर्गत कृषकों को शासन द्वारा निर्धारित किराया दर पर कृषि कार्य हेतु मशीनें उपलब्ध कराई जाती हैं । इस हेतु संभागीय कृषि यंत्री अथवा जिले के सहायक कृषि यंत्री से संपर्क करना होगा । 2. ड्रिलिंग बोरिंग योजना कृषकों के नलकूपों में बोर का विकास एवं जल क्षमता परीक्षण किया जाता है । इस हेतु सम्बन्धित जिले के कृषि यंत्री/सहायक कृषि यंत्री से संपर्क करना होगा । 3. मैक्रो मैनेजमेंट योजना (फार्म मैकेनाईजेशन) यह योजना कृषि यंत्रों के प्रोत्साहन कार्यक्रम के अन्तर्गत संचालित है । इस योजना में 90 प्रतिशत राशि केन्द्र द्वारा एवं 10% राशि राज्य शासन द्वारा वहन की जाती है । इसके अन्तर्गत छोटे ट्रैक्टरों (35 पी.टी.ओ.हॉर्स पावर तक के) का अनुदान पर वितरण एवं उन्नत बैल चलित/हस्तचलित एवं शक्ति चलित कृषि यंत्रों का अनुदान पर वितरण किया जाता है । इस हेतु सम्बन्धित जिले उप संचालक कृषि से संपर्क करना होगा ।
	<ol style="list-style-type: none"> 4. प्रदर्शन इस योजना का व्यय शत-प्रतिशत केन्द्र शासन द्वारा वहन किया जाता है । इसके अन्तर्गत कृषकों को नवीन विकसित उन्नत कृषि यंत्रों के उपयोग को बढ़ावा देने हेतु प्रशिक्षण दिया जाता है तथा नवीन विकसित कृषि यंत्र/उपकरण क्रय कर कृषकों के खेतों में प्रचार-प्रसार की दृष्टि से प्रदर्शन किया जाता है । इस हेतु सम्बन्धित जिले के कृषि यंत्री/सहायक कृषि यंत्री से संपर्क करना होगा ।

18.2 सूचना प्राप्त करने के संबंध में

- आवेदन पत्र

आवेदन पत्र का प्रारूप एवं उसकी पावती संबंधी व्यवस्था का प्रारूप निम्नानुसार है :-

प्रपत्र-एक

1. आवेदन पत्रों की प्राप्ति का प्रारूप

(सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा (6) (1) के अंतर्गत)

1. आवेदक का नाम
2. पूरा पता / ई-मेल / फ़ैक्स जिस पर जानकारी प्रेषित की जाना है
3. दूरभाष क्रमांक
4. आवेदन देने का दिनांक
5. कार्यालय का नाम
6. चाही गई जानकारी का विवरण
7. क्या चाहते हैं नकल/निरीक्षण/रिकार्ड का निरीक्षण/रिकार्ड की प्रमाणित प्रति/प्रमाणित नमूना ।
8. आवेदन के साथ किया जाने वाले प्रोसेस फीस-रूपये नगद/ स्टाम्प (बीपीएल सूची के सदस्य को देय नहीं) रसीद क्रमांक एवं दिनांक
9. क्या आवेदक गरीबी की रेखा के नीचे है अथवा नहीं - हाँ / नहीं । यदि हाँ तो बी.पी.एल. सूची का अनुक्रमांक

हस्ताक्षर

(आवेदनकर्ता)

आवेदक को सूचना का प्रारूप

1. आवेदक का नाम/पता
2. आवेदनकर्ता का संदर्भ
3. विषय / विवरण
4. उपस्थिति दिनांक

विषयांतर्गत सूचित किया जाता है कि आपके आवेदन दिनांक के संदर्भ में चाही गई जानकारी हेतु आप निर्धारित शुल्क दिनांक तक जमा कर दस्तावेज/नकल/नमूना दिनांक तक प्राप्त करलें । यदि दस्तावेज डाक द्वारा चाहते हैं तो उसके लिये रजिस्टर्ड/यूपीसी/डाक व्यय सहित लिफाफा (स्वयं का पता लिखा हुआ) संलग्न करें।

शुल्क निम्नानुसार देय होगा :- (बीपीएल सूची के सदस्य को देय नहीं)

आवेदन पत्र संबंधित विभाग को अंतरित करने संबंधी सूचना

प्रेषक :

.....

प्रति,

.....

.....

विषय:-

सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 की उपधारा (3) के अंतर्गत श्रीसे प्राप्त आवेदन पत्र दिनांक को,, परीक्षण उपरांत विषयवस्तु आपके विभाग से संबंधित पाए जाने के कारण निर्धारित समयावधि (पांच कार्य दिवस) में आपकी ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु अंतरित किया जा रहा है ।

कृपया प्राप्ति की अभिस्वीकृति प्रेषित करने का कष्ट करें ।

संलग्न:- मूल आवेदन

लोक सूचना अधिकारी / सहायक लोक सूचना अधिकारी
(रबर सील)

प्रातिलिपि:-

श्री पिता श्री को सूचित किया जाता है कि आपके द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र दिनांक कार्यालय/विभाग..... से संबंधित होने के कारण दिनांक..... को कार्यालय/विभाग..... को अंतरित कर दिया गया है ।

अतः कृपया आगामी कार्यवाही हेतु उक्त कार्यालय / विभाग से संपर्क करने का कष्ट करें ।

लोक सूचना अधिकारी / सहायक लोक सूचना अधिकारी
(रबर सील)

शुल्क

जानकारी प्राप्त करने हेतु शासन द्वारा निर्धारित शुल्क जमा करना होगा ।

सूचना आवेदन पत्र पर किस तरह से मांगी जावे

आवेदन पत्र के माध्यम से निर्धारित शुल्क जमा कर संचालनालय/अधीनस्थ संभागीय कार्यालयों से जानकारी प्राप्त की जा सकती है ।

सूचना ना देने व अपील करने के सम्बन्ध में नागरिक के अधिकार व अपील करने की प्रक्रिया

कृषि यंत्री, कृषि अभियांत्रिकी के अधीनस्थ कार्यालयों से सूचना प्राप्त न होने पर सामान्य प्रक्रिया के तहत संचालक, कृषि अभियांत्रिकी को अपील की जा सकती है ।

18.3 लोक प्राधिकरण द्वारा जनता को दिये जाने वाले प्रशिक्षण के संबंध में

प्रशिक्षण कार्यक्रम का नाम व विवरण

प्रशिक्षण, परीक्षण तथा प्रदर्शन के जरिये कृषि उपकरणों को प्रोत्साहन तथा सुदृढ करने की केन्द्रीय क्षेत्र की योजना ।

प्रशिक्षण कार्यक्रम/योजना के प्रभावी रहने की समय सीमा

वित्तीय वर्ष 2004-05 एवं 2005-06

प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्देश्य

- कृषकों में उन्नत कृषि यंत्रों के प्रति जागरुकता लाने हेतु विभिन्न कृषि कार्यों के लिये उपयोगी नवीनतम उन्नत कृषि यंत्रों के प्रदर्शन कृषकों के खेतों पर आयोजित किये जाते हैं ।
- ग्रामीण क्षेत्रों में उन्नत कृषि यंत्रों का निर्माण आधुनिक व वैज्ञानिक विधि से करने तथा ग्रामीण कारीगरों के कौशल में वृद्धि हेतु उन्नत कृषि यंत्रों के निर्माण का ग्रामीण कारीगरों तथा मिस्त्रियों के प्रशिक्षण का कार्यक्रम संचालित करना ।

प्रशिक्षण कार्यक्रम के भौतिक एवं वाणिज्यिक लक्ष्य

वर्ष 2004-05 में यह योजना क्रियान्वित नहीं थी । वर्ष 2005-06(अगस्त,05 तक) की प्रगति निम्नानुसार है :-

क्र०	योजना का नाम	वित्तीय (रूपये लाख में)		प्रदर्शन/प्रशिक्षण संख्या		लाभान्वित कृषकों की संख्या
		आवंटन	व्यय	लक्ष्य	पूर्ति	
1.	परीक्षण, प्रशिक्षण एवं प्रदर्शन द्वारा कृषि यंत्रीकरण का प्रोत्साहन व सुदृढीकरण					

लाभार्थी की पात्रता

- जिले के उप संचालक कृषि/संभागीय कृषि यंत्री द्वारा कृषकों का चयन किया जाता है
- जिले में कार्य कर रहे ग्रामीण कारीगरों एवं मिस्त्रियों को, जो प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु इच्छुक है, उनका चयन किया जाता है ।

पूर्वापेक्षायें :

कोई नहीं ।

अनुदान/सहायता

- प्रदर्शन पर होने वाला व्यय का वहन कृषि अभियांत्रिकी संचालनालय म.प्र.भोपाल द्वारा किया जाता है ।
- प्रशिक्षण पर कृषकों एवं कारीगरों को रहने व खाने-पीने की सुविधा प्रदान की जाती है तथा प्रशिक्षण स्थल तक आने-जाने का वास्तविक किराये का भुगतान प्रशिक्षणार्थी को किया जाता है ।

दिये जाने वाले अनुदान सहायता का विवरण –

उपरोक्तानुसार ।

अनुदान/सहायता के वितरण की प्रक्रिया

उपरोक्तानुसार ।

आवेदन करने के लिये कहां/किससे सम्पर्क करें

जिले में पदस्थ सहायक कृषि यंत्री/संभागीय कृषि यंत्री से सम्पर्क किया जा सकता है ।

आवेदन शुल्क

कोई नहीं ।

अन्य शुल्क

कोई नहीं ।

आवेदन का प्रारूप

निर्धारित नहीं सादे कागज पर अपना नाम, पता, कृषि भूमि का रकवा एवं प्रदर्शन/प्रशिक्षण का विवरण

संलग्नों की सूची

कोई नहीं ।

संलग्नों का प्रारूप

कोई नहीं ।

आवेदन करने की प्रक्रिया

जिले के सहायक कृषि यंत्री/संभागीय कृषि यंत्री को आवेदन प्रस्तुत कर सकता है ।

चयन प्रक्रिया :

“प्रथम आवे, प्रथम पावे” के आधार पर ।

प्रशिक्षण कार्यक्रम की समय सारणी :

एक सप्ताह का प्रशिक्षण आयोजित किया जाता है । प्रत्येक प्रशिक्षण में 25 किसानों को प्रशिक्षित किया जाता है , जिसका कार्यक्रम निम्नानुसार है ।

1.	18.7.2005 से 23.7.2005	—	कटनी , जबलपुर के किसानों हेतु
2.	8.8.2005 से 12.8.2005	—	डिण्डोरी एवं मण्डला के किसानों हेतु
3.	5.9.2005 से 9.9.2005	—	नरसिंहपुर एवं सिवनी के किसानों हेतु
4.	26.9.2005 से 30.9.2005	—	कटनी , जबलपुर के किसानों हेतु
5.	3.10.2005 से 7.10.2005	—	डिण्डोरी एवं मण्डला के किसानों हेतु
6.	4.11.2005 से 11.11.2005	—	नरसिंहपुर एवं सिवनी के किसानों हेतु
7.	5.12.2005 से 9.12.2005	—	सतना व रीवा के किसानों हेतु
8.	19.12.2005—24.12.2005	—	शहडोल एवं अनूपपुर के किसानों हेतु
9.	16.1.2006 से 20.1.2006	—	कटनी , जबलपुर के किसानों हेतु
10.	6.2.2006 से 10.2.2006	—	डिण्डोरी एवं मण्डला के किसानों हेतु

प्रशिक्षण के समय के बारे में आवेदक को सूचित करने का तरीका

प्रशिक्षणार्थी के चयन पश्चात् प्रशिक्षण कार्यक्रम की सूचना कृषि यंत्री द्वारा संबंधित को दी जाती है ।

प्रशिक्षण कार्यक्रमों के बारे में जनता को जागरूक करने के लिये लोक प्राधिकरण द्वारा किये जाने वाले कार्य

- प्रशिक्षण का कार्यक्रम जिले के उप संचालक कृषि को उसके प्रचार-प्रसार हेतु उपलब्ध करवाया जाता है ।
- उप संचालक कृषि का अधीनस्थ अमला ग्रामस्तर तक के कृषकों/करीगरों को प्रशिक्षण कार्यक्रम की जानकारी देता है ।

विभिन्न स्तरों पर जैसे कि जिला स्तर , ब्लाक स्तर इत्यादि पर प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लाभार्थियों की सूची एवं अन्य विवरण

क्र0	कृषक का नाम	ग्राम	विकासखण्ड	जिला
1	श्री शैलेन्द्र राजपूत	महराजपुर	पनागर	जबलपुर
2	श्री विजय कुमार पटेल	हथियागढ़	बहोरीकछ	कटनी
3	श्री बिहारीलाल पटेल	गठौरा	मझौली	जबलपुर
4	श्री आनन्द कुमार हल्दकार	लिमरी	बहोरीबद	कटनी
5	श्री गोविन्द सिंह	हथियागढ़	बहोरीबद	कटनी
6	श्री कल्याण सिंह ठाकुर	बनखेड़ी	मझौली	जबलपुर
7	श्री मानक सिंह बरखड़े	सरौली	कुण्डम	जबलपुर

क्र०	कृषक का नाम	ग्राम	विकासखण्ड	जिला
8	श्री रवि चतुर्वेदी	निवार	कटनी	कटनी
9	श्री बैसाखू सिंह उइके	सरौली	कुण्डम	जबलपुर
10	श्री कच्छेदी	टेढ़ी	कटनी	कटनी
11	श्री गुलजारी सिंह	टेढ़ी	कटनी	कटनी
12	श्री अवधेश कुमार सोनी	गुदरी	बहोरीबंद	कटनी
13	श्री पुस्सुलाल पासी	पंचात तीलेरी	बरगी	जबलपुर
14	श्री दिनेश कुमार मोर्य	डिटवारा	कटनी	कटनी
15	श्री देवेन्द्र सिंह ठाकुर	लिगरी	बहोरीबंद	कटनी
16	श्री खेत राम	लिगरी	बहोरीबंद	कटनी
17	श्री अजय कुमार सोनी	लिगरी	बहोरीबंद	कटनी
18	श्री प्रकाश कुमार सोनी	गुदरी	बहोरीबंद	कटनी
19	श्री रामकुमार सेन	मझौली	जबलपुर	जबलपुर
20	श्री संतोष कुमार विश्वकर्मा	जरवां	पनागर	जबलपुर
21	श्री राधवेन्द राय	मझौली	मझौली	जबलपुर
22	श्री ठाकुर दुर्गा सिंह	खितौला	मझौली	जबलपुर
23	श्री राम बिहारी	रोंझा	पाटन	जबलपुर
24	श्री राजेश कुमार पाण्डे	डिटवारा	कटनी	कटनी
25	श्री राम सिंह ठाकुर	नैगवा	बहोरीबंद	कटनी

18.4 लोक प्राधिकरण द्वारा दिये जाने वाले प्रमाण-पत्र, अनापत्ति प्रमाण-पत्र आदि के सम्बन्ध में जो की मैनुअल 13 में ना सम्मिलित हो

प्रमाण-पत्र, अनापत्ति प्रमाण-पत्र आदि का नाम व विवरण

“निरंक”

प्रमाण-पत्र, अनापत्ति प्रमाण-पत्र आदि प्राप्त करने हेतु पात्रता

“निरंक”

आवेदन करने के लिये कहां/किससे सम्पर्क करें

“निरंक”

आवेदन शुल्क (जहां उचित हो)

“निरंक”

अन्य शुल्क (जहां उचित हो)

“निरंक”

आवेदन पत्र का प्रारूप (यदि आवेदन सादे कागज पर होता है तो कृपया उसका उल्लेख करते हुए यह बतायें कि आवेदनकर्ता आवेदन करते समय किन बातों का वर्णन करे)

“निरंक”

संलग्नों की सूची

“निरंक”

संलग्नों का प्रारूप

“निरंक”

आवेदन करने की प्रक्रिया

आवेदन करने के बाद लोक प्राधिकरण में होने वाली प्रक्रिया (यहां पर उस प्रक्रिया का विवरण दें जो आवेदक द्वारा सारी प्राथमिकताएं पूरी करने के पश्चात् लोक प्राधिकरण द्वारा की जाती है)

“निरंक”

आवेदन की सारी प्राथमिकताएं सही तरह से पूरी करने के पश्चात् प्रमाण-पत्र, अनापत्ति प्रमाण-पत्र आदि जारी करने के लिये निर्धारित समय अवधि

“निरंक”

प्रमाण-पत्र के प्रभावी रहने की समय सीमा (यदि हो तो)

“निरंक”

नवीनीकरण की प्रक्रिया (यदि हो तो)

“निरंक”

18.5 लोक प्राधिकरण में होने वाले पंजीयन के संबंध में

“ निरंक”

18.6 लोक प्राधिकरण द्वारा टेक्स लेने के सम्बन्ध में

“ निरंक”

18.7 लोक प्राधिकरण द्वारा नागरिकों को दी जाने वाले बिजली/पानी के कनेक्शन, कनेक्शन को अस्थायी/स्थायी रूप से विच्छेदन आदि के सम्बन्ध में (यह सूचना स्थानीय निकाय जैसे-नगर पालिका/नगर परिषद्/UPCL द्वारा दी जा सकती है)

आवेदक की पात्रता

“ निरंक”

बिल में प्रयोग किये गये शब्दों का विवरण

“ निरंक ”

18.8 लोक प्राधिकरण द्वारा नागरिकों को दी जाने वाली अन्य सेवाओं का विवरण

“निरंक”